## THE NATIONAL CADET CORPS (AMENDMENT) BILL, 1974

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): Sir, on behalf of Shri Jagjivan Ram, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Cadet Corps Act, 1948.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI OM MEHTA: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.15 P.M.

The House then adjourned for lunch at sixteen minutes past one of the clock.

---

The House reassembled after lunch at seventeen minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

## I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1974 (No. 2 of 1974)—contd.

## II. THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, 1974—contd.

**श्री राजनारायण** (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं जिस विधेयक पर चर्चा करने के लिए आज उठा हूं, मैं समझता हूं यह बहुत ही आवश्यक और बहुत ही तात्कालिक महत्व का विधेयक है और मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से पहले ही निवेदन कर दूं कि ज़रा इस को शांति से सुने और समझे । बीच में हल्ला करने से क्या फायदा ?

तो पहला प्रश्न मैं यह रख रहा हूं कि 1955 से यह अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम कानून अपने पास है, और यह देख लिया जाए कि एक प्रकार से 1946 से यह सरकार चल रही है । मगर क्या कारण है कि इन्सान की ज़िंदगी की जितनी ज़रूरी चीज़े हैं, सबको क़ीमत बढ़ती चली जा रही है । इसका क्या कारण है ? इसके मूल कारणों पर बिना गए यह एक और विधेयक यहां पर आ गया । एक विधेयक 1971 में आया था । ऐसे विधेयक के आने मात्र से कोई जनता का कल्याण नहीं है । न तो किसी आवश्यक वस्तु पर कोई नियंत्रण हो सकता है और न कोई आवश्यक वस्तु सुलभ और सुगम हो सकती है । इसलिए हम यह चाहते हैं कि इसके लिए सदन चाहे आज बैठे और कल भी बैठ जाए, 2 दिन बैठ जाए मगर इस बात पर विचार करे कि क्या कारण है, वे क्या वजूहात हैं जिन वजूहात से आज हमारी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वे आगे बढ़ती चली जा रही हैं, क़ीमतें आसमान को छूती चली जा रही हैं ?

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि जो अभी सत्ताधारी दल का जल्सा हुआ था यहां, जिसको कुछ अखबारों ने तमाशा लिखा, उसमें यह कहा गया कि करप्शन, यह कोई बड़ी बात नहीं है, करप्शन तो सब जगह है और यहां तक कह दिया कि दुनिया के कुछ मुल्कों में हमसे ज्यादा करप्शन है और ज़रूरत है प्रोडक्शन की । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम सब भारतीय अपने दिल को टटोलें कि क्या सही मानी में हमारे देश में करप्शन तेज रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं और किस गति से बढ़ता जा रहा है। और जब तक यह करप्शन दूर नहीं होगा तब तक प्रोडेक्शन बढ़ेगा ही नहीं । ये दो चीजें हैं, करप्शन और अभाव । करप्शन मूल कारण है और करप्शन के कारण शार्टेज है और करप्शन के कारण अभाव है । इसलिए मैं इन दोनों चीजों के बारे में ज़रा समय लेकर समझाने की कोशिश करूंगा ।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं इस बात को पहिले ही से फिर कह देना चाहता हूं और माननीय सदस्य इस बात को जरा ध्यान से सुन लें कि सरकारी पक्ष का बारबार यह कहना कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी मंहगाई है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर मंहगाई बढ़ी है तो साथ ही साथ आमदनी भी बढ़ी है। वहां दूसरे मुल्कों में, पश्चिमी मुल्कों में औसत आय बढ़ रही है, वहां भारतवर्ष में औसत आय गिर रही है। अमेरीका में मंहगाई 5.9 प्रतिशत बढ़ी है। कनैडा में 8.1 प्रतिशत बढ़ी है। स्विटजरलैंड में 8.2 परसेंट, नीदरलैंड में 8.3 परसेंट, जापान में 11.5 परसेंट बढ़ी है और जर्मनी में 7.9 परसेंट बढ़ी है। तो भारत में हमारे आंकड़ों के मुताबिक 100, 200, 300 परसेंट बढ़ी है। अमेरीका में जब कि 5.9 परसेंट मंहगाई बढ़ी है तो अमरीका में डेढ हजार रुपया औसत आमदनी यानी फी आदमी बढ़ी है। भारत में जब कि 300 रुपया आमदनी बढ़ी तो उसके साथ ही साथ आमदनी घटी भी है। इसलिए भारत सरकार देश की जनता को गुमराह करने की नापाक कोशिश कर रही है। वह कह रही है कि यह मंहगाई तो एक इन्टरनेशनल फैनामैनन है। इसलिए श्रीमन्, भारत के लोग महंगाई से चिन्तित और परेशान न हों, यह एक लगी और गलत बात है। इसलिए मैं अपने सत्ताधारी भाईयों से जो यहां पर बैठे हैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है और क्यों इतनी मंहगाई हो रही है ?

श्रीमन्, पहिले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई पालिसी ही नहीं है। हमारी ही एक पार्टी थी जिसमें डा० लोहिया जी ने प्राइस पालिसी बांधी थी, दाम बांधे थे और हमने एक दाम बांधो सम्मेलन भी किया था जिसमें तीन महत्वपूर्ण उसूल रखे थे। पहिली बात यह थी कि जो गल्ला है, जिस को किसान खेत में पैदा करता है, जब फसल होती है तो किसान के गल्ले की कीमत गिर जाती है और जब किसान का गल्ला घर से निकल जाता है तो उसके बाद गल्ले की कीमत चढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसान के घर के ऊपर चारों तरफ से डाका डाला जाता है। वह अपने माल को सस्ते पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। वह दूसरी चीजों को महंगी दामों पर खरीदता है और अपनी ही बेची हुई चीज को भी महंगी दाम पर खरीदता है। इसलिए मैं किसानों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि उनके जो कृषि जन्य पदार्थ हैं, जो अग्रिकलचर प्रेड्यूस है, उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या पालिसी है। इस सरकार की कोई पालिसी नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं बार-बार इस सदन में कह चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि आप एक पालिसी बनाइये जो किसानों की लागत को जोड़ दे। वह उसमें उनके बीज की लागत भी जोड़ें, लगान की लागत भी जोड़े, खेती, पानी और दूसरी जो वह खेती पर खर्च करता है, वह सब लागत जोड़े। उसका मुनाफा रखते हुए किसान के गल्ले की कीमत तय की जानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं जिस भाव में किसान का गल्ला बिके और दो फसलों के बीच में जब आगे की फसल न आ जाय तब तक आगे की फसल की कीमत तय न हो। गल्ले में एक आने किलो से ज्यादा फर्क किसी भी हालत में बाजार में न आने पावे। मुझे मालूम नहीं कि श्री चटर्जी साहब इस चीज को समझे या नहीं। इसलिए अगर वे कहते है तो मैं इस चीज को उनके फायदे के लिए फिर से समझा देता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान की फसल में जो कुछ खर्च होता है, वह सारी चीजों को जोड़ लिया जाय और उसके बाद उसके दाम तय किये जाय। मान लीजिये उसके गेहूं की कीमत 20 रुपया मन तय हो जाती है तो जब तक दूसरी फसल नहीं आती तब तक बाजार में 2211 रुपये मन से ज्यादा गेहूं का भाव नहीं होना चाहिये। यह बात बिलकुल सरकार को

सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ कर देनी चाहिए, अगर सरकार चाहती है कि लोगों का पेट भरे, किसानों को सही कीमत मिले, गल्ले की चोरबाजारी न हो, गल्ले के व्यापारियों को भी गल्ला खरीदने के बाद लोगों को देने का मौका मिले । श्रीमन्, आप जानते होंगे कि डा० लोहिया ने, हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश की तमाम आढ़तों में भेजा,' 29 को बेस बना कर, '39 को बेस बना कर,' 48 को बेस बना कर और तब तमाम जानकारी को लेकर यह पालिसी हमने डिसाइड की कि दो फसलों के बीच में एक आने किलो से ज्यादा का फर्क नहीं । आढ़तियों ने कहा कि अगर ऐसी पौलिसी बन जाय तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं है । वाराणसी में जो सबसे बड़ी गल्ले की मंडी है वहां के आढ़तियों ने तो यहां तक कहा कि आठ आने बोरे का मुनाफा भी बाकायदा निश्चित हो जाय तो भी हम ठीक तरीके से बेचने के लिए तैयार हैं और किसी प्रकार की चोरबाजारी नहीं होने देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई इस ढंग का कानून बनाना चाहती है । अगर इस तरह सरकार प्राइस फिक्सेशन नहीं करती है तो यह जो विधेयक आया है यह सिर्फ रद्दी की टोकरी की शोभा बढ़ा सकता है, इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है, इससे केवल सदन के समय का दुरुपयोग है, देश की जनता के धन का दुरुपयोग है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार यहां डिक्लेयर करे कि कृषिजन्य पदार्थ और कलकारखानों से पैदा होने वाली जरूरी चीजों की कीमत में पैरिटी हो, न्याययुक्त सन्तुलन हो । ऐसा न हो कि किसान के गल्ले की कीमत गिरती चली जाय और कलकारखाने से पैदा होने वाली चीजों की कीमत, बिड़ला के कारखाने, टाटा के कारखाने, सिंहानिया के कारखाने, मोदी के कारखाने में बनी चीजों की कीमत ऊंची होती चली जाय । अगर सरकार की यह पोलिसी है तो यह नाकामयाब होगी चाहे एक या अनेक बिल हमारे माननीय मंत्री जी यहां पेश करें क्योंकि उससे देश का भला होने वाला नहीं है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक बात तय कर दे कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के बारे में कि कारखाने में जो चीजें बनती हैं और जो जिन्दगी के लिए जरूरी हैं उनकी लागत और बिक्री में कितना फर्क रहना चाहिए, जैसे सीमेंट है, जैसे दवा है, जैसे मिट्टी का तेल है, जैसे चीनी है, जैसे कपड़ा है । अगर एक गज कपड़ा 10 आने में बनता है तो बाजार में वह कितने में बिकना चाहिए ? एक लक्ष्मण-रेखा खींचो और उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर बिक्री की कीमत हरगिज न जाय । अगर 10 आने गज कपड़ा बनता है तो 15 आने से ज्यादा वह हरगिज न बिके या अगर चीनी 9 आने किलो बनती है तो वह साढ़े 13 आने से ज्यादा कीमत पर बिके ही नहीं । प्रधान मंत्री साहिबा यहां नहीं है वरना मैं चाहूंगा मेरी बात उन तक पहुंच जाय और पहुंच ही जाती होगी । वे राम-राज्य की चर्चा करती है, गांधी जी का नाम भी लेती है, मगर मैं उनको रामराज्य का एक ही दोहा सुनाऊंगा, जिस एक दोहे से ही डा० लोहिया ने सारी पोलिसी बना ली थी–

"मणि-माणिक महंगे किये सहगे ऋणं जल नाजा" राम को "गरीब-नवाज" क्यों कहा गया ? जो फैशन की चीजें थी उनको उन्होंने महंगा कर दिया और अनाज, चारा, पानी आदि को सस्ता कर दिया । जो इंसान के पेट भरने की चीज थी, पशुओं के चारे की चीज थी, इंसान के पीने की चीज थी उस को ज्यादा से ज्यादा सस्ती किया राम ने और तभी राम को गरीबनिवाज कहा गया । मामूली काम के लिए राम को गरीब-निवाज नहीं कहा गया । आप चाहते हैं कि लोग हम को गरीबनिवाज कहें विदआउट एनी फंडामेंटल पालिसी । आप की प्राइस पालिसी क्या है ? आप की दाम नीति क्या है ? इस सरकार की कोई दाम

[श्री राजनारायण]

नीति नहीं है। तो मैं कहता हूं कि दाम बांधो। मौजूदा सरकार कहती है कि दाम छुट्टा रखो और जब जितना हबक्का मारते बने मारो। तो आज की यह सरकार हबक्का-मार सरकार है। इस हबक्का मार सरकार ने कानूनों की शरण में जा कर ऐसे काम किये ह कि जिन के कारण आज न तो इंसान अपना पेट भर सकता है, न अपनी तंदुरुस्ती बना सकता है न अपने बच्चों को तालीम दे सकता है और न अपने लिए दवा का इंतजाम कर सकता है। श्रीमन्, इस लिए हमारे मित्र दो मूल कारणों को लेलें---करप्शन और अभाव। मैं पूछता हूं कि कारण क्या हैं। 1970-71 में चीनी बिकती थी एक रुपये चालीस पैसे से ले कर एक रुपये 60 पैसे किलो तक, 1971 के चुनाव के बाद गरीबी हटाओ का नारा आ गया और उस के बाद 1972 में चीनी हो गयी दो रुपये 15 पैसे किलो। सरकारी कन्ट्रोल था और श्रीमन्, अभी मैं ने परसों अपने यहां चीनी मंगवाई, कोटे वाली चीनी हमारे पास रही नहीं तो वह आयी 4 रुपये 60 पैसे किलो। यह चीनी मैं ने यहीं परसों दिल्ली में खरीदी। अब आप जरा सोच लें कि आज इस सरकार की क्या दाम नीति है। आज इस सरकार की नाक के नीचे डाका पड़ रहा है और यह सरकार खुद डाका डलवा रही है और दिल्ली शहर में, जो कि राष्ट्र की राजधानी है, जहां केन्द्रीय मंत्रालय हैं, जहां हमारे प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री रहते हैं वहां यह हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री पर यहां 35 हजार रुपया रोज खर्च हो रहा है, कैबिनेट मंत्रियों पर 4000 रुपया रोज खर्च हो रहा है, वहां अगर चार रुपये 60 पैसे किलो चीनी खरीदनी पड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस सरकार के रहते हमारा देश कहां जायगा। चाहे वह राज्य कर्मचारी हों या इस सदन में खड़े हुए सचिवालय के अन्य कर्मचारी हों या वह पुलिस और पल्टन के जवान हों, हम चेयरमैन साहब का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आप लोग जायं उन के यहां तो चाय को तो वे जरूर पूछेंगे और हमें चार रुपये 60 पैसे किलो की चीनी खरीद कर चाय तो पिला ही देंगे...

**श्री उपसभापति** : इसी लिए मैं सेक्रीन का इस्तेमाल करता हूं।

**श्री राजनारायण** : तो इसलिए मैं अब मूल बात करप्शन को लेता हूं। कारण क्या है कि 1971 तक चीनी एक रुपया 40 पैसे से एक रुपया 60 और 62 पैसे तक बिकती रही। क्या यह कारण नहीं है कि करीब 30 करोड़ रुपया चीनी के उद्योग पतियों से चुनाव लड़ने के लिए सरकारी पार्टियों ने लिया...

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): It is not correct.

**श्री राजनारायण** : और उस 30 करोड़ रुपये में महंगाई का फंदा सरकार ने देश की जनता के गले में डाल दिया। इस को ठीक समझ लीजिए। सत्य को छिपानेसे देश का भला नही होगा। यह आदरणीय सदन है, यहां पर हम को ईमानदारी से बोलना चाहिए। श्रीमन, मैं इस के साथ साथ अब मैं सीमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सीमेंट की कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है, यूरिया की कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है? डालडा की कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्या यह नहीं है कि डालडा के उद्योगपतियों से करोड़ों रुपयों का चंदा लिया गया है और कलकत्ते मे कांग्रेस सेशन में तीन दिन रहने के लिए प्रधान मंत्री के लिए 8 लाख की झोपडी बनी। हमारी झोपड़ी बनती है 50 रुपय की, 80 रुपये की और तीन दिन के लिए प्रधान मंत्री की झोपड़ी बनी है 8 लाख की और फिर आप कहते है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई रोकने के लिए आप बिधेयक लाते है जिसमें 5 साल की सजा 7 साल की करते हैं पर मैं कहता हूं कि इससे कोई असर होने वाला नहीं है।

**श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी** (बिहार) : मेरी पोइन्ट आप आर्डर है। यह मेरे दोस्त राजनारायण प्रधान मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि 8 लाख की कोठी बनवा कर कलकत्ता में प्रधानमंत्रीजी ठहरी हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वे एक दूसरे बंगले में ठहरी थीं। मेरा कहना है कि इस तरह की बात करना सदन की डिगनिटी के खिलाफ बात होगी।

**श्री राजनारायण** : श्रीमन् मैं हाथ जोड़ कर विनंती करता हूं कि माननीय सदस्य हम को बोलने दें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिसका मैं प्रमाण न दे सकूं।

अब मैं पत्र पढ़ता हूं। 13-8-73 का मेरा पत्र है। मैंने पूछा था कि 1973 में आपके द्वारा मारुति लिमिटेड को तीन क्वार्टरों में कितना सीमेंट एलाट किया गया और इसे किस किस काम में लाने के लिए दिया गया तथा कितना स्टील एलाट किया गया ? आज तक इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले।

श्रीमन्, 1 अगस्त, 1973 को जो राष्ट्रपति को खत लिखा है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया और कोई कमेटी नहीं बनी तो उसको हमने छाप कर बांट दिया। वह छपा हुआ पूरा खत यहां पढ़ना नहीं चाहता...

**श्री उपसभापति** : समय भी कम है।

**श्री राजनारायण** : समय थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है।

मैं तमाम चार्ज लगा चुका हूं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि श्री बंसी लाल की सरकार ने सीमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट से सिफारिश करके 7 हजार टन सीमेंट मारुति कंपनी को दिलाया है। यह सीमेंट 1 लाख 40 हजार बोरी है। हरियाणा सरकार ने दो सीमेंट फैक्टरियों पर दबाव डाल कर मारुति कंपनी को सीमेंट दिलाया। यह सीमेंट ब्लैक में बेचा गया। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो और साथ ही लोहे की भी जांच हो कि उसे कितना लोहा मिला। लोग हम से कहते हैं कि हम कंक्रीट उदाहरण दें। जयप्रकाश नारायणजी ने सार्वजनिक रूप से कहा है और मैंने मंत्री जी को कंक्रीट उदाहरण भी दिया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब हम को जनता की शरण में जाना पड़ा। प्रधान मंत्री जी के पास और राष्ट्रपति जी के पास मेरी कितनी चिट्ठियां गई हैं लेकिन किसी का भी आज तक उत्तर नहीं आया। मैंने स्पीकर महोदय, ढिल्लों साहब को भी चिट्ठी लिखी है। मैंने उसमें साफ कह दिया है। वह मैंने इस गर्ज से भी लिखी है ताकि वे इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में ले जाएं और जब मुझे उसमें बुलाया जाए तो मैं सब कुछ कह दूं। मैं ये सारी बातें जल्दी में कह रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है।

श्रीमन्, यह 7-11-67 की चिट्ठी है। यह फोटोस्टैट खत है। यह हिन्दुस्तान एलेमोनियम कारपोरेशन लिमिटेड के प्रेसीडेंट श्री एस० एस० कोठारी का है।

To: Shri S. S. Kothari, President Hindalco, "Dear Sir, We met the Prime Minister and her Private Secretary. We have paid a sum of Rs. 5 lakhs to the P.S. He has promised us that he will use all his influence. . . (*Interruption*) that no trade union activity is allowed in the Hindalco.". . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is it you are reading from?

SHRI RAJNARAIN: It was signed by T. D. Bhagat and B. N. Saxena. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Unless you can prove the veracity of the letter, it is no use quoting it now.

SHRI RAJNARAIN: I can prove it.

श्रीमन्, यह मैं आपकी सेवा में टेबल पर रख रहा हूं। इसका ओरिजिनल भी मेरे पास है। मैं चाहता हूं इसे आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दें।

**श्री यशपाल कपूर** (उत्तर प्रदेश) : आप ब्लैक मेलिंग करते हैं । लोगों से पता नहीं क्या क्या लिखवा लेते हैं । झूठ बात यहां आकर कह देते हैं ।

**श्री राजनारायण** : मैं आपकी शरण में हूं । मैं चाहता हूं कि मेरी इस सत्यता की प्रमाणित किया जाए और अगर ये असत्य साबित हों तो जो भी सजा आप मुझे देंगे मैं लेने को तैयार हूं और फौरन राज्यसभा की सदस्यता से हटने को तैयार हूं ।

मैं यहां आज चैलेन्ज करता हूं, क्योंकि इसकी ओरिजनल कापी मेरे पास है, उस ओरिजिनल की फोटोस्टेट कापी लाकर के हमने पेश किया है । श्रीमन्, जब हिंडालको के स्टाफ ने हड़ताल की तो कोठारी साहब जो प्रेसीडेंट हैं उनकी पर्सनल फाइल से चिट्ठी निकाल कर आई है और उस की फोटोस्टेट कापी तमाम देश में बंटी ।

श्रीमन्, मैं अखबार वालों की एक और कटिंग जो हमको यू० एन० आई० की मिली हुई है पढ़ना चाहता हूं । आप ध्यान दे कर सुनिए ।

U.N.I. Flash news: Lucknow, May 19:

> Samyukta Socialist Party leader, Rajnarain, M.P. today charged Prime Minister, Indira Gandhi, with ruining the moral health of the nation. He substantiated his charge by showing to newsmen here a photo-copy of a letter dated November 7.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How is it relevant?

(*Interruption*)

**श्री रबी राय** (उड़ीसा) : देखिए, गड़बड़ कौन कर रहा है ?

**श्री राजनारायण** : यह क्या है ? आप उनको बोलिए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chaudhury and Mr. Rabi Ray, please take your seats.

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, हमारी रक्षा कीजिए, श्रीमन्, लखनऊ से यू० एन० आई० ने यह न्यूज फलैश किया । इसको फिर पढ़ रहा हूं ।

U.N.I. Flash News: Lucknow, May 19:

> Samyukta Socialist Party Leader, Rajnarain, M.P. today charged Prime Minister, Indira Gandhi, with ruining the moral health of the nation. He substantiated his charge by showing to newsmen here a photo copy of a letter dated November 7.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How is it relevant?

**श्री राजनारायण** : सुनिए, रेलेवेन्ट पढ़ रहा हूं । यह सब जगह फ्लैश हो चुका, दिल्ली की सरकार को पता चला । तमाम अखबारों में छपा है । लखनऊ से आया

> Teleprinter Message 2002 hours is hereby withdrawn. Please guard against its publication. U.N.I. RR 2035.

अब, दिल्ली से यू० एन० आई० को कहा जाता है कि इसका पब्लिकेशन रोक दिया जाए ।

**श्री उपसभापति** : वह तो लखनऊ से आया ।

**श्री राजनारायण** : यह मेरे पास ओरिजिनल है । दिल्ली ने लखनऊ को खबर की और लखनऊ ने तमाम जगह जहां भेजा था वहां कहा । इसकी जांच करें, क्योंकि मैं तो अचानक जब वहां गया तो टेबल पर पड़ा था अब मैं उसी को रख रहा हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to wind up in two minutes now.

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, बिड़ला के अल्यूमीनियम कारखाने को कह दिया छोड़ रहे हैं । अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How is it relevant?

**श्री राजनारायण** : देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के संबंध में जो कुछ है उसको कह रहा हूं । यह रिलेवेन्ट है । क्योंकि जिंदगी की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं इसलिए मंत्री लोग उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं । मंत्री लोग उद्योगपतियों से नाजायज मुनाफा लेते हैं (*Interruption*) अच्छा, मैं बैठ जाता हूं, आगे अब नही बोलूंगा । चेयरमैन साहब चले जाएं और पता करें कि हमारी मिस्टर यशपाल कपूर की मा इन्दिरा नेहरू गांधी की पैतृक संपत्ति में किसकी ज्यादा है—उसको नोट कर लें—मैं कहूंगा उनकी आज संपत्ति हमारे से कई गुना ज्यादा हो गई जो पहले कम थी । महात्मा गांधी-जी ने जो पत्र लिखा था जवाहरलाल-जी को कांग्रेस का पहला सेक्रटरी बनने के पहले तो गांधीजी ने लिखा था कि तुम पिता को रंज मत होने दो, अगर जरूरत समझो तो किसी पत्र के संवाददाता बन जाओ, नही तो कहो मैं तुमको कोई जगह दिला दूं । तो क्या कहते हो ? यह यशपाल कपूर लाखों लाखों नोट के बण्डल बांटते हैं . . .

SHRI YASHPAL KAPUR: Sir, I protest against this. . . He and his leader outside have been making allegations like this. This is very very bad. The hon. Member should not make such baseless allegations. How is it relevant? What is the source of his income?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, your time is over. In one minute you must finish now.

**श्री राजनारायण** : देखिए, मैं पढ़ रहा हूं दवा के बारे में । आज दवाइयां महंगी होती जा रही हैं । श्रीमन्, हमें कम से कम पांच-सात मिनट और दीजिए । मैं कह रहा था, आज दवाइयों के दाम महंगे होते चले जा रहे हैं । हमें लेटर मिला है 18 तारीख का एक कमेटी बनी है यूथ करप्शन प्रिवेन्शन सोसाइटी उसके प्रेसीडेन्ट है अवधेश सिंह और सेक्रटरी अग्निहोत्री ।

श्रीमन्, उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम दवाइयों के नाम, जो स्टैन्डर्ड से नीचे है, जिनको खाने से लाखों लोग मर रहे है, उन सब के बारे में इस चार्ट में दिया हुआ है । इस चार्ट में यह दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग है । मैं सब नाम तो नही पढ़ना चाहता हूं लेकिन एक दो नाम पढ़ देना चाहता हूं । डा० जगन्नाथ दुग्गल, लालबाग सर्कस, लखनऊ और दूसरा नाम है ग्रोवर सर्जिकल स्टोर, नावल्टी बिल्डिंग, लालबाग लखनऊ । इस तरह से इस चार्ट में 22 कम्पनियों के नाम हैं जो कालाबाजारी करते है, गलत दवाइयां बनाते हैं, स्टैण्डर्ड से बिलों दवाइयां बनाते हैं और इस तरह से उन दवाइयों को बेच बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं और आम जनता की जिन्दगियों से खेल रहें है ।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा में एक सेठ की फ्लोर मिल है जो दूसरे प्रान्तों को सूजी, मैदा और आटा भेजती है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call the next speaker now.

SHRI P. L. KUREEL URF TALIB (Uttar Pradesh): He is defying the Chair. He should be asked to stop. What is this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, you must conclude now. I said one minute and after one minute I am going to stop you.

**श्री राजनारायण** : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी के सदस्य मुझे डिस्टर्ब न करें ।

(*Interruption by Shri P. L. Kurrel Urf Talib*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kurrel, you please sit down. Mr. Rajnarain, are you going to stop now?

**श्री राजनारायण** : मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं ।

**श्री उपसभापति** : आप एक मिनट के अन्दर बैठ जाइये वरना मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बुला लूंगा ।

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, हरियाणा में एक सेठ की फ्लोर मिल है । अभी कुछ हफ्ते हुए कि आटा, सूजी और मैदा पर बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उस पर हाल ही में रोक हटा ली है । हरियाणा में 175-185 रुपया क्विन्टल यह सामान बिक रहा है और दूसरे प्रान्तों में यह 300 रुपया क्विन्टल बिक रहा है । मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि जब देश में किसी राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर रोक लगी हुई है, आटा , सूजी और मैदा नहीं जा सकता है, तो हरियाणा सरकार ने इस सेठ को क्यों छूट दे दी और क्यों यह माल महंगे दाम पर उत्तर प्रदेश भेजा गया ?

इसी तरह से रूई के सम्बन्ध में भी 1970-71—72-73 में जितना मुनाफा रूई के मिल मालिकों ने कमाया, उससे 4 गुना ज्यादा 1973-74 में कमाया और सरकार कहती है कि हमने इनकी लागत खर्च जोड़कर कपड़े का दाम निर्धारित किया है । म माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पहिले सरकारी स्तर पर करप्शन को रोकने की व्यवस्था करें क्योंकि सरकार आज एक संसदीय क्षेत्र के लिए 35 लाख रुपया खर्च कर रही है ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Baseless.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, I will call the next man.

**श्री राजनारायण** : आज सत्ताधारी उम्मीदवार को जितवाने के लिए यह सरकार 35 लाख रुपया एक संसदीय क्षेत्र में लगा रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना रुपया कहां से आया है । इन तमाम बातों को रोका जाय क्योंकि यही रुपया आज देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है । मै इस विधेयक को अनावश्यक समझता हूं और मैं मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पास कराने में सदन के समय का नुकसान न करें ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I was really in a mood to offer some constructive comments on the Bill but after hearing my friend, Mr. Rajnarain ...

**श्री काली मुखर्जी** (पश्चिमी बंगाल ) : यह पागल है ।

SHRI A. G. KULKARNI : I cannot say "pagal". . .

**श्री राजनारायण** : अगर काली प्रसाद जी हमें पागल कहते हैं तो मैं अपने को पागल अच्छा समझता हूं क्योंकि मैं चिंता से तो मुक्त हूं । अगर मैं चिन्ता से मुक्त न होता तो मैं इस सरकार के खिलाफ आन्दोलन नही कर सकता । और मुझे काली प्रसाद जी की तरह अपने घर की चिन्ता हो जाती ।

SHRI KALI MUKHERJEE : Good material can be exported to any country in the world which will fetch us a good, lumpsum foreign exchange.

(*Interruption by Shri Rajnarain*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, let him continue.

SHRI A. G. KULKARNI : Mr. Kali Mukherjee has rightly described my friend, Mr. Rajnarain, which we can really appreciate. The point is, these friends are doing a great harm to the atmosphere which is being created in this country. I want to say a few words at the outset without going into the merits of the amendments which the Government has brought.

I can understand the present inflationary pressure on prices; I can understand the ways in which the prices are rigged, manipulated; I can understand the Opposition viewpoint, the view point of the political parties, in making hard efforts to pressurise the Government to bring down the prices but the way in which it is done I cannot commend. The whole atmosphere is being vitiated and it has a long-term impact leading to creation of instability in the country. I would request my friends in the Opposition that they must not use such rabid language as used by Raj Narain and must not make statements and wild charges of corruption which will unnecessarily make confusion worse confounded. There should be constructive approach towards the efforts of the Government to unhoard the stocks, to bring down the prices, towards the efforts of constructive workers in the various political parties to help the Government as well as the people in unhoarding the stocks hidden by the traders, anti-social elements and big farmers, etc.

Coming to the Bill itself I am happy these amendments have been brought forward but I do feel that this amendment is not the last word. I find myself some difference of opinion as regards the provisions in this amending Bill. At the outset I want to draw the attention of the Government to one aspect which my friend on that side, Dr. Z. A. Ahmad, also did, I fail to understand the amendment of section 7 on page 2 of the Bill. Section 7 of the Act says that for a first offence there can be a sentence of fine only but the reasons for not imposing a sentence of imprisonment should be recorded in writing. In the amending Bill also the Government has maintained the same provision not in those very words but in a way by which advantage could be taken by anti-social elements in the use of money power or political influence to achieve acquittal. The amendment says: "Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months." Sir, I do object to such type of in-built provisions. I object because Prof. Chattopadhyaya is a knowledgeable person. He has burnt his fingers while administering the Cotton Yarn Control Order. He has burnt his fingers in the case of implementing the gentleman's agreement relating to nylon yarn and so many other matters dealing with industrialists. I am very sorry to say that this type of provisions are very lukewarm and this will open the floodgates for more corruption and for political influence being brought into play. I also fail to understand another matter. When this Essential Commodities (Amendment) Bill is being brought Government should have realised that in the present condition of stresses and strains due to inflation the need of the hour is the strengthening of the distribution system. In this connection I had earlier mentioned that there was need to have strong political will and when I raised this question I was given the reply that the Government had got the political will and it will assert itself. I was very happy to hear the words. The Government might be asserting the political will.

But I say that it must be asserted with the real teeth and not with the denture which has been supplied by the dentist. What the people feel now is that you are not asserting your political will; that your teeth are fragile; that you are using the false teeth and not the real teeth. I only give an instance. I do not like to take names. One of the biggest industrialists in Delhi was caught here while having wheat flour or wheat stocks. The same industrialist and the same family threw a marriage party in the International. . .

[Shri A. G. Kulkarni]

I do not know what it is. My friends there may know. I do not know the name. There was no lack of presence of Ministers who attended that reception. Then one of the members of the same family was found coming from Hong Kong—it is reported, I do not know—with some currency which was contraband. Is this. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There, I will correct you. It is not the same family. The man who has been caught for exchange violation, he is not of the same family.

SHRI A. G. KULKARNI: I am not now on the Essential Commodities Act. I am giving an instance of political. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am just trying to correct the statement. He is not from the same family, I am told. He is from a different family. That is what I read in the newspapers.

SHRI A. G. KULKARNI: I am so sorry.

श्री राजनारायण : इस से क्या मतलब है इस से ?

SHRI A. G. KULKARNI: I am so sorry. It was reported it was from the Modi family. Previously, the man arrested for wheat flour incident was from the Modi family.

श्री राजनारायण : मोदी फैमिली का पकड़ा गया था ।

SHRI A. G. KULKARNI: The previous arrest also was from the same family, and this is what I also believe. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is from another family.

SHRI A. G. KULKARNI: Modi family are a large family like the Birla family. . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक इंफार्मेशन चाहता हूं कि अनएकंपनीड बाक्सेज जो आये थे, 14 बाक्सेज, उन के बारे में भी वह कुछ बतला दें ।

SHRI A. G. KULKARNI: I am on the political will side. I am subject to correction, whatever correction you have made.

What I request the hon. Minister is that the Government's will must be asserted with a strong hand and it must be asserted at the right place, at the right moment so that those people will feel the pinch and there will not be such occasion arising for malpractices being indulged in.

A point was mentioned by Shri Rajnarain just now about industrial raw materials. What I want to know is whether they get covered under the Essential Commodities Act under the amendments which you have brought forward because for export purposes, for aggressive exports, sometimes industrial raw materials are also essential commodities because this country is having a total war—what you call a frontal attack—for rectifying the economy, for which the attack should not only be on conventional essential commodities like food, cereals, sugar, cloth, etc. but also on industrial raw materials, particularly in the organised sector. You are spending precious foreign exchange for importing raw materials for running the industries. Let him also go to exploit the domestic market for them. I want to know whether there is provision about industrial raw materials. If there is no such provision, then what is in the mind of the Government to see that you are empowered to acquire a minimum of 30 to 40 per cent of the country's essential production, particularly of the sensitive items which are required for exports or for the community's consumption?

Then another aspect is this. The whole Act has to be administered in such a fashion that the people must be convinced of your legitimate efforts to

curb the inflationary pressures on the one hand, the political influences on the other, and stop corruption on the third. Why I say this is this. Take the present circumstances in Bihar. I do not want to bring in the name of Jayaprakash Narain. I do not want to pass any remarks about the demand for dissolving the Assembly, etc. But today I read an item whereby Jayaprakashji, the respected leader of this country, has advised the police force not to obey the order. It is a very dangerous trend. (*Interruptions*) in the life of democracy of this country. Jayaprakashji—I do not utter those words about him. The point is that this is a dangerous trend which Jayaprakashji is entering into. Such a type of advice to the police force or to the Army is not right. Mr. Rajnarain—all right. I hope he is like 'आधीच मर्कट तशांस मद्य प्याला

**श्री राजनारायण** : जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं जो बैड आर्डर्स हैं, अनकंस्टीट्यूशनल आर्डर्स हैं उनको आप मत मानना .....

SHRI A. G. KULKARNI: I do not want to enter into any controversy in my speech. The point is, whatever orders, I would say. . . .

SHRI RAJNARAIN: No.

SHRI A. G. KULKARNI: The police force, the Army and the Border Security Force are the pillars of our democracy. If you go on, as a political party, indulging in it and creating sabotage, you will be condemned by us and everybody who believes in democracy, and whether it is Jayaprakashji or Mr. Rajnarain, you do not deserve to be a democratic citizen of this country.

**श्री राजनारायण** : फार हैल्दी डिबेट आप चा मंकी कहिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मगर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं .....

SHRI A. G. KULKARNI: You are giving this advice. If you give alcohol to a monkey, it will act as . . . (*Interruptions*) What I am urging upon is that such conditions should not be created. . .

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You listen to him.

SHRI A. G. KULKARNI: You also denounce Jayaprakash Narain.

SHRI RAJNARAIN: It is to save the country.

SHRI A. G. KULKARNI: You cannot save the country.

(*Interruptions*)

SHRI RAJNARAIN: You are ruining the country.

SHRI A. G. KULKARNI: You cannot save the country at all. You will only damage the country further and not save it. Please convey this message to Jayaprakashji that such advice to the military personnel or the army personnel or to the Border Security Forces will be condemned and condemned and condemned a hundred times (*Interruptions*) since it violates the basic levels of democratic attitude and amounts to sabotage of elected Government.

SHRI RAJNARAIN: It is to save the borders, not to save Shrimati Indira Nehru Gandhi.

SHRI A. G. KULKARNI: It is what you call a ritual. Your eyes are opaque. Your eyes are yellow. About Shrimati Gandhi, you are indulging in something which you have inherited from Mr. Lohia. Please forget about it. Give constructive cooperation to the Government. Then you will at least have sleep in the night. Otherwises you will become mad.

Mr. Chattopadhyaya, why are these conditions created? There is your utter weakness in disciplining the Indian

[Shri A. G. Kulkarni]

Cotton Mills Federation, in administering the Cotton Yarn Control Order. There is your utter failure in implementing the gentlemen's agreement about nylon yarn. There is Government's utter failure in working out a new wheat policy. I can understand your working out a new wheat policy. There should be at least some success. But your writ works neither on the Chief Minister of a powerful State which has got surplus wheat nor are the rich and progressive farmers prepared to accept your decisions. So, unless there is a political will and unless there is assertion, you cannot succeed.

I heard a statement that the Government is thinking of importing wheat. Why are you importing wheat? I object to the import of wheat. Please deploy the army to the houses of hoarders to bring out whatever extra wheat is there. Ask the army, the people and the political parties to co-operate, search every house in every village, every city and unearth whatever stocks are there. This type of co-operation and involvement of the people is necessary. We do not need statements saying that we will import. You can import, I admit. The money is there and you can import. But importing is no solution. The solution lies in taking the co-operation of the people. The solution is in the involvement of the people, in unearthing all the extra stocks wherever and at whatever places they may be. Do not give such people political patronage. Then and then only we can create an atmosphere. And foolish utterances like asking the army not to obey, the police not to obey will not bring out stocks. I only brought this thing candidly because I am proud of my party's contribution to country's development. However, the political will has to be ascertained and policies implemented.

The last point is about the utter necessity to amend the Companies Act which we have previously amended, banning the donations by cheques. The time has come when contributions from companies must be accepted; otherwise corruption will spread to unimaginable extent; it has already gone into the blood of the people.

DR. K. NAGAPPA ALVA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, along with the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1974 I also speak on the Criminal Law Amendment Act, section 8, enlarging its scope. Sir, this is an important measure of legislation which concerns the very existence and living of the people as human beings with self-respect. By this amendment, the Government assumes power to control production, supply, distribution etc. of the essential commodities. It is a very laudable object indeed. But what has been happening in this country? The implementation has been defective. In fact the Government have not implemented these Acts faithfully. That is why we have come to this miserable state of affairs.

Here I must also say that the Government has been shirking its responsibility while bringing this Bill before this House and the Commerce Minister has been forced to move this Bill. With all respect to the intelligence and ability of the Commerce Minister, Mr. Chattopadhyaya, and also the Deputy Minister for his intelligence and ability, I must say, Sir, that they have not thought over the seriousness of the situation and the magnitude of the problem of essential commodities in this country; otherwise they would have thought about enlarging further the scope of the Criminal Law (Amendment) Act. The present Act cannot be faithfully implemented unless the Essential Commodities Act, the Criminal Law Amendment Act, the Prevention of Food (Adulteration) Act,

the Drugs and Cosmetics Act, the Maintenance of Internal Security Act and the Defence of India Rules are also enforced wherever necessary.

So it is in the fitness of things that the Home Ministry should have taken up the responsibility of moving this Bill and also the responsibility of enforcing this Act. Now, Sir, it is for the eighth time that the Essential Commodities Act is being amended since 1955. It looks like a ritual because even here I see that instead of making it comprehensive as far as possible, due to certain in-built weaknesses of the Government, certain commodities or items have been left out. The commodities that have been included here are cotton and woollen textiles, foodstuffs and drugs. Sir, you know the damage that has been done to the health of the people and also to the entire democratic fabric of this country by the failure of the Government to implement the Prevention of Food Adulteration Act and the Drugs and Cosmetics Act. Here you have included cotton and woollen textiles, foodstuffs and drugs, but there are a number of things which have to be included. I mention only five, namely, silk textiles, cotton yarn, fertiliser, seeds and cement. These have been left out. Certainly the people of this country have got a right to question the *bona fides* of this Government because we know what a bad name the Government has got because of the havoc done to the common man in the matter of distribution of fertilisers, cement and seeds and the hardship caused to the farmers and weavers of this country in the matter of supply of fertilisers and cottonyarn respectively. So I suggest that even now it is not late for you. Please include silk textiles, cotton yarn, fertiliser, seeds and cement.

You have your experience in the implementation of this Act and the opinion that has been expressed by the State Governments and also the opinion that was given about the amendments by the Law Commission. But I dare say that you have not learnt any lesson or your experience was not enough to learn lessons from your mistakes or failures because of wrong policies. We have to understand the persons involved in this. On Thursday I was very happy to hear the speech of Mr. N. R. Chaudhury, member of the ruling party, because what he spoke was true, knowing the realities of the situation. The persons involved are the hoarders, profiteers, blackmarketeers, adulterators, permit-holders, licence-holders, smugglers, corrupt politicians and corrupt bureaucrats. These are criminal acts, economic crimes and social evils and acts of treason. The evil-doers should be treated as such. The amount involved here we must consider. The amount involved is in crores. This is responsible to-day for the black money circulation; this is responsible for the parallel economy. Our economy is in ruins to-day. Add to that the political chaos that you will be creating by these sufferings of the people.

The hardships that are caused to the people by the failure of the Government to implement these Acts will certainly rebound, and I warn this Government that if this state of affairs continues, there is bound to be a revolution and there is no doubt about it. The suffering of the people is so much. You think of the position as it is to-day. You think of the havoc caused by black money. It is interacting with other evils. Everytime you give a financial memorandum and do you give any importance to it? The Government has been very lukewarm about these things, and, I must say, they were apologetic because if you see the financial memorandum, the amount initially to be spent is Rs. 10,000 while annual expenses are Rs. 1 lakh. Money is not the consideration at all. Throughout penny-wise-pound-foolish has been

[Dr. K. Nagappa Alva]

the policy of the Government. No matter how much we spend, the essential commodities, the basic needs, of the people must reach them at fair prices, and that is the most important duty of the Government. But what is happening today? In the implementation of these Acts, schemes and programmes always the Government finds fault with others—leave alone the Opposition parties—and more so, they find fault with State Governments. What is necessary is there must be understanding, there must be coordination, between the Central and State Governments. But the main responsibility, I emphasise, is that of the Central Government. It is a question of understanding and coordination between different Ministries and different Departments. That is very necessary for the proper implementation of these Acts, schemes and programmes. You have said about the appointment of Magistrates and some staff. Please do not be satisfied with that. You have funny suggestions and funny ways of doing things. You give funny reasons for doing or not doing certain things. It is very necessary to implement whatever legislations are passed. It is the failure of the implementation machinery that is responsible for the present ills and evils. Your implementation machinery has not built up standards and strength. For the proper implementation of all the things that I have mentioned now, things which concern essential commodities and basic needs of the people, what is required is able assistance, organised assistance of the police, of the intelligence, of the security force or of the army itself when it is necessary. What is the position of the laboratories in this country? What is the position of the trained personnel? Are there enough of them? Are you having mobile police and intelligence vans? Are you having vehicles of speed? Are you having real intelligence machinery which can go deep into these things? It is all a tragic picture that we have. So many maladies have crept into this structure, into this system. I must also say that this sort of chronic situation started developing since independence but it has become acute now. I make my charges against the privileged and opportunist oplitical leaders of this country for the economic crimes and political sins and for not enforcing these things. The big-wigs have escaped. Smaller people have been harassed. Why? That is the question. This happens because of interference by persons in authority and collection of money for politics and for elections. They place party interests above the country's interests. That is how the implementing machinery becomes corrupt. We can correct it. I feel that the time has come when the realisation will come on the rulers of this country. All are to be blamed, no doubt. It is ony a question of degree. When we charge the Central Government, we also blante the Central leadership. Only when they correct themselves and set an example to others, things can be set right. It is unfortunate that in this country charges are being framed and abusive language is being used from the topmost level against the purest leader of this country, Shri Jayaprakash Narain. No one is perfect. But one has to understand that he is one man who has kept himself pure and strong. He has never contested an election so far. If he would have contested, he would have reached the highest position in this country. But he was not after power. At least now I hope the people of this country will realise that if a man like Shri Jayaprakash Narain has come out to lead the people and to give a lead to the students and intelligentsia of this country, it is because the conditions in this country are so bad and the Government is not in a position to control the situation.

So, Sir, people are helpless. They are in a helpless position. Their confidence is shaken and it is now for the Government to infuse and instil confidence in them by implementing these Acts effectively.

Sir, I feel like concluding my speech with prayers in the name of this sacred land. May wisdom down on the rulers of this land and let them change their attitude of dividing, weakening and destroying opposition and opponents and blaming them for their own failures and let them fight with all might and with the absolute power assumed the real enemies of the country, namely, corruption, price rise, inflation and black money and let them implement the Essential Commodities Act faithfully and truthfully.

Thank you, Sir.

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** (बिहार) : उप-सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं व्यापार मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस मौके पर वे जो यह एसेंशियल कमोडिटीज बिल लाए हैं यह उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है; क्योंकि उससे लोगों में एक आशा जगी है कि इस वक्त यह बिल ला कर सरकार न सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखना चाहती है, बल्कि उन्हें उपलब्ध भी कराना चाहती है ।

**[The Vice-Chairman (Shri Bipinpal Das)** in the Chair]

इस कानून के पास होने पर सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जायगी; क्योंकि उन्होंने एक नई आशा पैदा की है । इस कानून की धारा 2 (दो) में सरकार ने 'ड्रग्स' (दवा) जोड़ कर बहुत महत्वपूर्ण काम किया किया है; क्योंकि देखा गया है कि खास कर ड्रग्स (दवा) या तो गायब हो जाती हैं या नकली और मिलावट वाली मिलती हैं और खास कर पिछले सप्ताह कई दफा अखबारों में यह सूचना निकली है कि रांची में और कई जगहों में ग्लूकोज इन्जेक्शनों से मृत्यु हुई हैं । यह बहुत ही सीरियस बात है और इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

जब सरकार ने पहले के कानून में जो मेजर्स (तरीके) थे, जो सजा उन के अनुसार दी जा सकती थी उस से ज्यादा कठोर सजा देने के मेजर्स इस में रखे हैं तो आप इस के पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन की भी व्यवस्था करें । इस का इंप्लीमेंटेशन कितना और क्या होगा, आप इस को कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर बहुत कुछ जनजीवन सुविधा निर्भर करती है, और इसलिये इस के इंप्लीमेंटेशन की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। यह बात मैंने इस समय इस लिए उठायी कि 1967 में जब संविद की सरकारें बिहार और दूसरे प्रान्तों में बनी तो सरकार बनने के पहले उन के कुछ नेताओं ने और एकाध होने वाले मुख्य मंत्रियों ने और दूसरे लोगों ने जनता में यह आशा जागृत की कि वे सिर्फ 5 रुपये मन चावल बिकवायेंगे । यह असंभव बात थी; क्योंकि चावल की कीमत लोगों के कहने पर, सिर्फ उन के हुक्म पर ही निर्भर नही करती । उस की प्रोडक्शन कास्ट (पैदावारी दर ) क्या होती है, उस की डिट्रिब्यूशन कास्ट (आवंटन की कीमत) क्या होती है, यह सब तमाम चीजें हैं जिन पर उस की कीमत निर्भर करती है । यह कोई व्हिमजिकल (मनमानी) चीज नहीं है कि जो चाहे जिस चीज की जैसी चाहे प्राइस (दाम) तय कर दे । उस के लिए बहुत कांप्लीकेटेड मेथड है और प्राइस तय करते समय तमाम चीजों को ध्यान में रख कर सुलटना पड़ता है और तब कही जा कर किसी चीज की एक दर नियत होती है । मैं यह मानती हूं कि इस वक्त महंगाई बहुत है और इस सिलसिले में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं; क्योंकि माननीय विरोधी दल के

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

सदस्यों ने कई उदाहरण दिये हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस के लोगों में इतना करप्शन (भ्रष्टाचार) भरा हुआ है कि अगर वह सरकार से हटा दिये जायं तो देश से करप्शन (भ्रष्टाचार) हट जायगा । तो जब संविद की सरकार बिहार में बनी 1967 में तो उस समय की संविद सरकार के एक मंत्री महोदय ने दानापुर की एक फ्लोर मिल पर रेड कराया । वहां पर सिर्फ होर्डिंग का ही चार्ज उन पर नहीं था, बल्कि वह मिलावट भी करते थे । लोहे का बुरादा आटे में मिला हुआ था । आप कहेंगे कि लोहा खुद महंगा होता है, उसे कौन आटे में मिलायेगा, लेकिन उस के वेट (वजन) का सवाल था । तो एक यंग आफिसर ने उस को पकड़ा । तीन बार वारंट ईश्यू हुए, कार्यवाही हुई, विभागीय मंत्री ने मुख्य मंत्री से बात चीत की । सारी फाइल कंप्लीट हो गयी और उस के बाद पता नहीं कैसे क्या होता है कि एक रात में क्या हुआ किसी को पता नहीं । कुछ पता नहीं चला कि वह मिल मालिक कहां चला गया, किसी को पता नहीं कि वह फाइल कहां दब गयी और उस मामले में क्या हुआ, उस का जिक्र मैं नही चाहती । मेरी आदत नहीं है कि उन झमेलों में मैं पड़ूं और उन बातों को यहां उठाऊं, लेकिन यह बात मैंने इस लिए उठायी कि खामखाह एक बावेला इस देश में उठाया गया कि करप्शन के लिए जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस वाले हैं और कोई नहीं है । वर्ना मै पूछना चाहती हूं कि 1967 में जब संविद की सरकार बनी तो उन दिनों कीमतों के नियंत्रण के लिये और आवश्यक वस्तुओं के आवंटन के लिये कौन-कौन से कानून बने और किस हद तक *Implement* हुये यह किसी ने देखा था इसी लिए मैंने यह सवाल उठाया है । यदि सही में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए सभी दलों को मिल कर वातावरण बनाना होगा ।

**श्री इन्द्रदीप सिंह** (बिहार) : माननीय सदस्या को याद होगा कि मधोलकर कमीशन को यह मामला रेफर हुआ था और यह भी आप बता दें कि उसकी फाइंडिंग्स क्या थीं ।

**श्रीमती प्रतिभा सिंह** : वह आप ही बता दें तो अच्छा होगा, लेकिन मुझे यह बात उस मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने ही बतायी थी, जो कि उस हुकूमत में मंत्री थे ।

खैर, जो कुछ भी हो, मैं इस समय यह कहना चाहती हूं कि इस के इंप्लीमेंटेशन की तरफ माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस अमेन्डमेंट की सफलता और असफलता implementation पर ही निर्भर करती है ।

मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि आज सबसे बड़ी तकलीफ में कौन हैं । सबसे बड़ी तकलीफ में एक हाउस वाइफ, एक घर की गृहणी है, जिसकी हालत महंगाई के कारण छनके हुवे तवे की तरह है । विशेष कर जिनकी फिक्स्ड इन्कम है, चा वह क्लास फोर हो, क्लास थ्री हो, क्लास टू का हो, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है पैसा लाने का । महंगाई घटती दिखाई नहीं देती ।

अध्यक्ष महोदय, इन क्लास की जरूरतों को देख कर कुछ आइटम्स हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । जहां आपने clause (2) के item (V) में फुड स्टफ including edible oil and oilseeds रखा है, वहां आप Beverages पय सामग्री, जैसे टी और काफी भी जोड दीजिए । क्योंकि काफी जो है वह लग्जरी क्लास के लिए नहीं है । रिक्शा वाले, कुली, मजदूर सभी उत्तर भारत में चाय से अपनी भूख और थकान मिटाते हैं और दक्षिण भारत वाले किसान मजदूर काफी से ।

एक और आइटम है, हाउस होल्ड electric gadgets का इसमें luxury items फ्रिज और एयर कंडिशनर्स नहीं हैं । ये लग्जरी आइटम्स हैं । किन्तु कम आमदनी वालों के लिये कुछ इलैक्ट्रिक गैजेट है जिनकी आवश्यकता साधारण आमदनी वाले घरों में औरतों को होती है । विशेष कर शहरो में Class IV, III और II को रहने के लिये स्थान की कमी है, living space limited हैं ऐसे घरों की औरतों को बच्चों के लिये दूध गर्म करना पड़ता है, पति के लिये चाय बनानी पड़ती है । ऐसी औरतों को कैट्ल्ज का प्रयोग करना पड़ता है और कपड़ों पर प्रैस करने के लिए वे इस्त्री (iron) का प्रयोग करती हैं, इसलिए ऐसी चीजों को आपको शामिल करना चाहिए । दूसरी बात है कि मैं एसोन्शियल कमोडिटीज में इनको इसलिए लाना चाहती हूं ताकि सेफ्टी स्टैण्डर्ड मेनटेन हो सके । होता क्या है कि अक्सर अखबारों में निकलता है कि फ्लां औरत इलक्टोरेटिड हो गई, फ्लां औरत को बिजली से शाट लगा, इसलिए मैं इन items को, Iron, Kettle, electric stove, water heater etc. को लाना आवश्यक समझती हूं । यह ठीक है कि गांवों में इन चीजों की खास जरूरत नहीं होती है; क्योंकि वहां बिजली अभी नहीं पहुंची है, मगर कभी तो पहुंचेगी ही । और जहां है वहां ये काम में आ सकते हैं । बार बार शहरों में कोयले और गैस से चूल्हा जलाना महंगा पड़ता है । इसी से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है । क्योंकि यह खयाल पुराना है कि ये items luxury के हैं । आज ये आवश्यक वस्तुयें हैं ।

इसी प्रकार आपने साबुन को इस लिस्ट में नहीं रखा है, खास कर कपड़े धोने के साबुन को । क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं पटना गई थी, वहां मैंने पाया कि कई हफ्ते तक इस चीज की बड़ी दिक्कत रही । दूसरे जहां आपने पेपर की आइटम दी है वहां पर आप बच्चों के लिए टैक्स्ट बुक्स और कापियां भी जोड़ दें । अगर कापियों के दाम बढ़ जाएंगे या कापियां अवेलेबल नहीं होंगी तो वे पढ़ेंगे क्या ।

एक चीज और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं वह है नमक । यह नमक की बात मेरे मन में तब उठी, जब मै उत्तर बिहार के गांव में गई । वहां मैंने देखा कि अचानक बाजार से नमक गायब हो जाता है । गरीब से गरीब भी रोटी नमक से खा लेता है । उत्तर बिहार में नमक भारत से सीमा पार चला जाता है । इसलिए इस बीज को भी आपको essential commodity में शामिल कर लेना चाहिए ।

तीसरे दिया सलाई और केरोसीन है । इन छोटी चीजों की हमें हमेशा जरूरत पडती रहती है । आजकल तो खास कर जब कि बिजली में कटौती की जा रही है । कृषि के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो मार्जिनल फार्मर्स की जरूरत की चीजे हैं उनको आप इस लिस्ट में जरूर दाखिल कर लें ।

इसलिए इसमें यह कोई दिक्कत नहीं होनी है और इसी लिए मैंने आपका ध्यान इस तरफ दिलाया । एक और बात की तरफ व्यापार मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आवश्यक वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं हैं जो निर्यात होती हैं ? यह आवश्यक सवाल है कि जब आप लोगों को निर्यात का लाइसेन्स देते हैं तो आपके पास क्या मशीनरी है जो इस बात की जाँच करे कि जो भी माल आपने निर्यात के लिए निश्चित किया वह निर्यात हुआ कि नही, क्योंकि जो निर्यात के लिए आप माल देते हैं उसमें कैश असिस्टेंस देते ह, raw material की सुविधा देते हैं । उसमें और बहुत किस्म की सुविधाएं आप देते हैं, उन सुविधाओं की वजह से उनका प्रोडक्शन कास्ट थोड़ा कम

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

होता है, लेकिन चूंकि उसका एक भाग यहां के काले बाजार में बेच देते है तो जो एक्स्ट्रा मनी इस तरह से उनके पास होता है वह सर्कुलेशन में आकर भी दामों की वृद्धि में सहायक हो जाता है । तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आवश्यक वस्तुओं में निर्यात के अन्तर्गत आती है, क्या उनका प्रापर युटिलाइजेशन समय पर होता है या नहीं या वे हमारे दामों की वृद्धि में और अनेक प्रकार की जो चोरबाजारी होती है उसमें सहायक हो जाती हैं ?

तो यही दो-चार बातें थी जो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से व्यापार मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती थी ताकि इस बिल का हमें अधिक से अधिक फायदा हो सके ।

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : Sir, I have gone through the Bill presented before us and I must say that there are gross inadequacies in the Bill, not only in its content, but also in various other aspects. Sir, the Bill replaces the Presidential ordinance. In this House and also in the other House, we have criticised the Government functioning by the ordinances on the eve of Parliament. According to the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the maximum term of imprisonment for offenders is being extended from 5 to 7 years. Besides, imprisonment for a minimum term of 3 months for the first offence and 6 months for the second offence and so on has been provided. The Bill also provides for publishing the name and place of the public corporation convicted of the offence. It also envisages summary trial for offenders relating to contravention of orders with respect to cotton or woollen textiles, foodsuffs and drugs.

Sir, it is said that this Bill is going to be a forerunner of attempts to curb all kinds of malpractices in trade and particularly in essential commodities. It is said that the Government intends to control the prices of essential commodities and the Bill provides the teeth for the Government to do so. But my contention, on the contrary, is that the Government has no intention to control the prices of commodities including essential commodities. On the contrary, we have a ruling party and Government which thrives on ill-gotton money of black-marketeers, traders, capitalists, landlords and black-money operators and the Government wants to fool the people or to misguide the people by bringing forward this Bill which naturally will remain a dead letters as many of the penal provision of various other Bills passed by the Parliament remain today.

Sir, during the last six months alone, the prices of various essential commodities increased by about 60 per cent. This is on top of the increase prices by more than 22 to 23 per cent according to the official statistics leading to an erosion in the value of the rupee by 19% during the last year. This is again on top of the continuous erosions of the value of the rupee. That means an increase in prices continuously of all the essential commodities ever since the Congress Party took over in this country. This is the reality. The prices of foodgrains, sugar, kerosene, cloth, cement, fertilisers and so on are increasing without any bounds. For instance, let us take the case of foodgrains, which is the most important item in the consumption basket of the ordinary man. My party has been pleading with the Government that the wholesale trade takeover and control of the prices of foodgrains is possible only if you have the first measure, namely, takeover of the entire marketable surplus from the landlords and rich peasants and distribution of the entire procured surplus through ration shops. Sir, this Government had a so-called wholesale trade takeover without accepting the proposal of monopoly

procurement. And naturally, it was a fiasco. I even charge the Government that they wanted to discredit the scheme by taking over the so-called wholesale trade without monopoly procurement. That was a deliberate attempt by the Government to discredit the whole scheme so that they can hand it over to the traders. Sir, during the last season, we had procured only 1.7 million tonnes compared to the target of 5 to 6 million tonnes of wheat. We have been able to procure only 1.7 million tonnes, less than 2 million tonnes. But the Government would rather import 5 million tonnes of wheat than achieve the target. Sir, I charge that the Government has already taken a political decision to import 5 million tonnes of wheat from abroad, paying heavily the scarce foreign exchange. But they will not touch the landlords in this country who hoard the stock because that is a class whom they cannot touch and they are the sustenance of this political party. They provide them the sustenance, the financial help. Again, Sir, in the case of sugar, 30 per cent of sugar is being sold in the free market. And the sugar magnets of Uttar Pradesh are not paying purchase tax to the Government; they are keeping old machinery without repairment. Recently, Sir, they have benefited by crores of rupees and again part of it goes to the coffers of the ruling party. Kerosene prices have been increased very recently. The Commerce Ministry allowed a 30 per cent increase in the price of coarse cloth. For the controlled cloth, why is it that 30 per cent increase was allowed by the Government? It is the Government which increases the prices of essential commodities. They might take a pretext and they might take an excuse of the Bureau of Industrial Costs & Prices. But let us not forget that it is the Government which is leading the nation towards the perilous path of galloping prices by their own deliberately political decisions to increase the prices so that the ordinary working people may be fleeced of their wages, and the wages passed on to the capitalists and landlords through profits and rent. This is what they are doing. The coarse cloth is inadequately produced. And the textile-mill magnets would rather pay the penalty imposed by the Government than produce the coarse cloth. Rather they will produce fine, superfine and synthetic cloth. Sir, similarly, in the case of cement, for the last two years not only public but also private construction has been hampered due to the continued scarcity of cement. The shortage has been unprecedented. Shortage of fertilizer, shortage of vanaspati and shortage of various other raw materials has been unprecedented in this country.

Sir, you find again a vanishing trick. Whenever the Finance Minister brings out his Budget, commodities of essential consumption vanish and the prices increase not by the amount of the tax but by a multiple of the increase in taxation. Sir, there are very few commodities in this country whose prices did not increase by 50 per cent in the last two years. I would be interested to see whether there is any commodity of consumption whose prices have not increased by 50 per cent during the last two years. Sir, I would not like to go into the details. The prices of toilet soap, kerosene, vanaspati and so on have been increased.

Sir, I would like to give one simple example from West Bengal. The Essential Commodities Corporation, set up by the West Bengal Government, to purchase non-cereals for which this West Bengal Government has been depending on other States, has been conducting itself in such a curious manner, particularly as far as mustard seed is concerned that soon after the State Government entered into a gentleman's agreement—and I quote—"with the traders in July, 1973, mustard oil in Calcutta became dearer by Rs. 2 to Rs. 6.75 per Kg. and went beyond Rs. 11 per Kg. during the Poojas." Sir, the oil

[Dr. K. Mathew Kurian]

now sells at about Rs. 10 a Kg. And what price would it be at the time of the Poojas, one can only guess.

Sir, the Dharia Committee's Report has included various commodities in the list of essential commodities. For example, the Dharia Committee, *i.e.*, the Committee on Essential Commodities, had recommended that the following commodities should be taken into account, namely, cereals, pulses, sugar, gur and khandsari, edible oils and vanaspati, milk, eggs, fish, common clothing, standard footwear, kerosene oil and domestic fuels, common drugs and medicines, bicycles, bicycle tyres and tubes, matches, dry cells, hurricane lanters, soaps and detergents, textbooks and stationery. Sir, I would like to know whether the Government was at all benefited by the Dharia Committee's Report. Or, is it that the Dharia Committee's Report was produced in the Planning Commission to be buried, burnt, forgotten and thrown into the dustbins of the Pianning Commission? Sir, I would like to know whether the Dharia Committee's Report has anything to do with the Government's policy. Do they at least expect these minimums to be in the list of essential commodities? Sir, in fact, they said that the Committee had looked into a larger number of essential commodities but they had drawn up only a manageable list. They drew up only a manageable list. I quote, manageable list, *i.e.* manageable list of essential commodities and articles of mass consumption. But the Essential Commodities Act and the Government's policy does not cover all these goods. They will pick up only a few items and a larger number of the items of mass consumption and their prices cannot be controlled. Hoarders of these goods are not going to be punished even if there are penal provisions included in the Bill. They will go scot-free, as I will prove in a few minutes.

Sir, the price-rise of essential commodities must be studied in terms of the root cause of the price-rise. There is no point in trying to assert that the prices are rising only because of the operations of some traders alone. In fact, I would charge that Government is directly responsible for the price-rise because of the Government's failure to check black money. They have rejected the proposal for demonetisation. They have the so-called theory of development and planning, which will *ipso facto* lead to increase in prices.

Sir, the Prime Minister and the Finance Minister are on record as having said that the increase in prices is a necessary part of development; it is inevitable in a developing economy; it is the global phenomenon, and so on. They talk of investment climate, meaning expectations of future *i.e.*, business men and monopolists and so on will invest their money only if there is investment climate. This means expectation of future profit. Investment climate is dependent upon a continuous rise in prices. This is the capitalist theory which the Planning Commission and the Government have accepted, not only in theory but in practice. Therefore, the laxity of Government, the callousness of Government in not arresting the continuous rise in prices is consistent with their economic theory, the theory of planning and development.

Sir, the Dharia Committee's Report has said that it is well-nigh impossible to preserve for long an island of price stability in an ocean of raging inflation. The Minister of Commerce & Industry, who is here and is piloting this Bill, maybe or may not be, he has looked into this Report. But, what is the significance of this? Can the price of a few essential commodities be maintained in an ocean of raging inflation? This question must be answered.

Sir, production of various essential commodities is expected to be increased in the Fifth Plan Document edible oils by 30 per cent, cotton textile by 30 per cent, kerosene by 60 per cent. The statement in the Dharia Committee's Report

that a high priority has been accorded to agriculture, industries producing articles of mass consumption and core sector industries producing essential intermediates today remains a myth. The whole idea that the Fifth Plan is going to result in the production in articles of mass consumption and essential commodities including intermediate goods is a myth because the Fifth Plan is dead and buried long long ago. Therefore, the expectation that production of wage goods and commodities of essential consumption will increase during the Fifth Plan is a myth. Therefore, Sir, we must look into the fundamental reasons why prices continue to rise.

Sir, before I do that I might also bring in the question of distribution. Sir, the Dharia Committee examined the problems of public distribution and procurement and the Dharia Committee said :

> "The procurement is lifeline of a public distribution system. In the absence of adequate procurement, the system would languish and might in the end just collapse...".

Now, it looks as if this is a statement by the Government after a year of the so-called wholesale take-over. This is a glorious example of exposed analysis by the Dharia Committee. Sir, the procurement and public distribution system can succeed only if, and I repeat the words 'only if', the Government agrees to the proposal of my party for monopoly procurement of the entire marketable surplus of foodgrains and other essential commodities from landlords and so on, and distributed through ration shops...

*(Time bell rings)*

Sir, I am concluding.

The de-hoarding operation in various parts of the country has become such a scandal, and this scandal has also been admitted by members of the ruling party. This is shown by a cutting that I have. According to the 'Tribune', many of the registered cases are often mysteriously dropped even when hoarders are caught red-handed. Their names are mysteriously dropped because of political pressure. Sir, both the Chief Executive Councillor, Mr. Radha Raman, and the Executive Councillor, Mr. O. P. Bahal, have admitted that de-hoarding operation has been a failure in Delhi, and one of the reasons suggested, as usual, is pressure being brought on the authorities.

Sir, I am concluding by saying that this Government has certainly no political will. In fact, they have no interest in their own policy, because they thrive on the ill-gotten money from capitalists, landlords, and others. Therefore, unless their economic policies, which help capitalists and landlords, are reversed forthwith, unless the Government accepts our proposal of taking over the entire marketable surplus of food-grains and other essential commodities, and there is mass distribution channel, this problem cannot be solved. All their efforts will prove infructuous unless their basic policy is changed on the lines I have suggested.

**श्री कल्प नाथ** (उत्तर प्रदेश ) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस के पहले कि कुछ कहूं सदन को बताना चाहता हूं कि इन एसेंशियल कमोडिटीज के लिए प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक कमेटी बैठाई गयी थी, मोहन धारिया जी की अध्यक्षता में, और वह कमेटी 1973 में बैठी थी और दिसम्बर, 1974 में उस ने अपनी रेकमेंडेशन्स दीं । उन को इस सरकार ने कितना लागू किया इस पर मंत्री जी जरा विचार करें । मोहन धारिया कमेटी ने कहा था :

> The Committee has proceeded from the assumption that if the national objective of growth with stability and social justice is to be realised, it will be necessary for the Government

[Shri Kalp Nath]

to assume responsibility for assured availability of essential commodities to common man at reasonable prices. The fate of the common man as also of the development process cannot be left to the 'free' operation of the market forces. Appropriate techniques and effective instruments have to be developed for this purpose. The Committee has made recommendations in this regard both of a general nature and those specific to the items covered. The Committee was keenly aware that in general, prices of consumption articles cannot be stabilised unless the prices of inputs required for their production are also stabilised. This brings out the indivisibility of a price policy oriented to stability. The Committee has recognised that an adequate public procurement and distribution system has to be a key-link in the institutional infrastructure required for assured availability of essential articles to the common man at reasonable prices including essential inputs such as fertilizers, pesticides, seeds, cattle feed, power, steel, cement etc. The Committee has felt that the problems of both production and distribution have to be simultaneously tackled for meeting the minimum essential needs of the common man. The system must cover the whole gamut of operations namely, procurement, transport, storage and distribution and highest priority must be given to the production of essential goods and articles of mass consumption and the investment goods and key materials required for such production.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर प्रोडक्शन पर एक कानून बन जाए कि आने वाले पांच वर्षों में हमारे देश की इकोनामी ओरियन्टड होगी, एसिन्शियल कमोडिटीज जो आम जनता के लिए जरुरी चीजें हैं उन चीजों का उत्पादन होगा और एयर कंडीशनर्स का उत्पादन नहीं होगा, फ्रिज का उत्पादन नहीं होगा, टेलिविजन, रेडियो जो विलासिता की चिजें हैं उनका उत्पादन नहीं होगा, 500,600 की साडियों नहीं बनेंगी, मोटर नही बनेगी, कारें नहीं बनेंगी । केवल मोटे कपड़े मोटे अनाज, दवादारु, स्टेशनरी का सामान मिल्क पाउडर जो कि आम जनता की रोज में आने वाली चीजें हैं उनका उत्पादन होगा ।

एक तरफ हम देख रहे है नम्बर दो इकोनामि चल रही है जिसमें एक तो वह है जिस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और दूसरी ब्लैक मनी । ब्लैक मनी को चलाने वाले लैग्जरी चीजें पैदा करते हैं और लग्जरी चीजें खरीदतें हैं । हम देख रहे हैं आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन लगातार घट रहा है और विलासिता की चीजों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आने वाले पांच वर्षों में हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी की इकानामी की स्टेबलेटि को, पालिटिकल स्टेबिलिटि को कायम रखाना है तो आने वाले पांच वर्षों में आवश्यक चीजों का उत्पादन करना होगा और फिजूल-खर्ची पर आधारित, ब्लैक मनी पर आधारित जो विलासिता की चीजें हैं उन पर रोक लगानी होगी । जब हमारे देश में उत्पादन ज्यादा होगा तो किसी चीज की प्राब्लम नहीं रहेगी । आज हमारे देश में ब्लैक मार्किटीयर्स, चोर बाजारी करने वाले, गुंडा तत्व तीनों पुलिस के साथ साजिश करके आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । मै मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

जो चीजें कारखानों में जिन दामों पर बनती हैं उसके ड्यौढ़े दाम पर वह चीज बिकनी चाहिए । जिन चीजों का हम

किसानों से प्रिक्योरमैंट करते है जैसे गेहूं है जो 105 रुपए क्विन्टल हम किसानों से लेते हैं और बाजार में 200 रुपए के हिसाब से बेचते है। मेरा कहना है कि जितने दामों पर हम किसानों से खरीदें उससे ड्योढ़े दाम पर बाजार में बेचें।

उप सभाध्यक्ष महोदय, एक और चीज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है स्टैपटेमाइसिन की सूई जो कि टी० बी० के मरीज को दी जाती है। यह सरकार की ओर से 14 आने में बिकती है और यदि हम खरीदने जाएं तो हमें वह 2 रुपये में मिलेगी। यह दो आने में बनती है और 14 आने में बिकती है।

आज पूरी पार्लियामैंट को, हिन्दुस्तान की संसद को इस सवाल पर बड़ी मुस्तैदी से विचार करना चाहिए जैसा कि हमने बंगला देश को आजाद कराने में हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने पालिटिकल बिल और एक दृढ़ता का परिचय दिया, जैसे हमारे देश ने मुल्क में एटामिक-पावर बनाने में उत्साह दिखाया।

4 P.M.

जैसे हमने राजा-महाराजाओं का प्रीवी-पर्स समाप्त किया। लाखों दबावों के बावजूद हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व के कारण हिन्दुस्तान से राजामहाराजा बोरिया-बिस्तर लेकर चले गये। इसी तरह से हिन्दुस्तान की इकनोमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश की प्रधान मंत्री को, हमारे देश की कांग्रेस पार्टी को, हमारे देश की सरकार को एक स्ट्रांग बिल के साथ इस देश में जो बेईमान लोग है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई करनी पड़ेगी।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और वह इस दृष्टि से किया कि बैंकों की जो पूंजी है वह हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए आवश्यक चीजों के उत्पादन में खर्च की जाय। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि वह बैंकों की जो पूंजी है उसका ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट हाउसेज ले रहे हैं और लेकर अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं और विलास की चीजों का उत्पादन बढ़ा रहे है? आज इस देश में 75 पूंजीपतियों के बजाय 93 पूंजीपति पैदा हो गये हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर एक एसेंशियल कमोडिटीज मिनिस्टर कायम होना चाहिए और प्रधान मंत्री जी से मैं निवदन करूँगा कि जब वे केबिनट का रिशफल करे तो उनकी केबिनट मे एक एसेंशियल कमोडिटीज मिनिस्टर भी होना चाहिए और उसके अधीन पांच स्टेट मिनिस्टर होने चाहिए। एक तो फूड का मिनिस्टर हो, एक एसेंशियल कमोडिटीज का मिनिस्टर हो और एक मेडिसन का मिनिस्टर हो। इस प्रकार से दूसरे भी विभाग हो सकते हैं। इन सब के ऊपर एक केबिनेट रेंक का एसेंशियल कामोडिटीज मिनिस्टर होना चाहिए। आज यहां पर यह स्थिति है कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे विषयों पर बहस होती है तो ऐसेंशियल कमोडिटीज पर बहस होने के बजाया हिन्दुस्तान की राजनिति पर बहस होने लगती है। मैं कहना चाहता हूं की अगर सत्तारूढ़ दल आजकी स्थिति में एक लाख रुपये चन्दे से इकट्ठा करता है तो अपनी-अपनी सामर्थ्य के मूताबिक 10 हजार रुपये विरोधी दल वाले भी इकट्ठा करते है और इसमें कोई दो रायें नहीं है। बहस होनी चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज के उपर लेकिन बहस की जाती है श्री जयप्रकाश नारायण के उपर। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निबेदन है कि हमारे देश में विलास की चीजों का उत्पादन अगले पांच वर्षोंतक एकदम बंद कर देना चाहिए और जिवन में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन को हमें प्रथमिकता देनी चाहिए।

आज कहा जाता है कि हमारे देश में मुद्रा-स्फीति हो रही है और सारी दुनिया में मुद्रा-स्फीति हो रही है। मै पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 30 वर्षों के अन्दर रूस में कोई इन्फ्लेशन हुआ है? क्या पिछले 30 वर्षों में रूस में जीवन की आवश्यक वस्तुओं

[श्री कल्प नाथ]

के दाम बढ़े है ? मै यह भी कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर 32 करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें से सिर्फ 8 करोड़ एकड़ जमीन पर सिचाई की व्यवस्था है । 25 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें एरीगेशन के लिए कोई व्यवस्था नही है । मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में सड़कों के किनारे, रेलवे ट्रेक्स के आस-पास भी जो जमीन है उस सारी जमीन पर खेती की जानी चाहिए और उसके लिए सिचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस देश में जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो और हम इन चीजों को प्राथमिकता दे सकें । जब हम ऐसी नेशनल इमरजेन्सी के वक्त पर ऐसे राष्ट्रीय मसलों पर विचार करते है तो सारे हिन्दुस्तान को और विरोधी दल के लोगों को भी एक नैशनल आबजेक्टिव सामने रखना चाहिए । अगर इस देश में प्रजातंत्र नही रहेगा तो इस देश में विरोधी दल भी नही रहेगा । आज इस देश में प्रजातंत्र पर जनता की आस्था कम करने की कोशिश की जा रही है । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी को गंगा की धारा मानता हूं । इसी पार्टी ने हिन्दुस्तान की आजादी हासिल की और इसी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इसी पार्टी ने इस देश के राजा-महाराजाओं का प्रीवीपर्स समाप्त किया इसने मुल्क को जनतंत्र दिया और इसी की औट में खड़े होकर हमको आजादी मिली, पार्लियामेंट, लोक सभा आदि सब कुछ इसने बनाया । विरोधी दल के श्री राजनारायण जी ने बहुत-सी बातें कही है । मैं राजनारायण जी को समाजवादी मानता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि वे गंगा के पानी से भरी हुई बोतल के समान है, लेकिन वे कहां जा मिले है, पीलू मोदी के घड़ें में, बलराज मधोक के साम्प्रदायिक घड़े में और चौधरी चरण सिंह के प्रतिक्रियावादी और अमेरिकी साम्राज्यवादी घड़े में । अगर घडे को पानी गगा में मिल जाय तो वह गंगा जल हो जाता है और अगर गंगा का जल घड़े में मिल जाय तो वह घड़ा हो जाता है । अतः मै आदरणीय राजनारायण जी मे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मे विरोधी दल का मतलब भटकाव नही होना चाहिए । विरोधी का मतलब पोलिटिकल भटकाव कभी भी नही होता है । लेकिन आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान की राजनिती के अन्दर पोलिटिकल भटकाव की स्थिति लाई जा रही है । आदरणीय जयप्रकाश जी की हम सब इज्जत करते हैं और हिन्दुस्तान का हर आदमी उनकी इज्जत करता है । शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो उनकी इज्जत नहीं करता हो । लेकिन आज जयप्रकाश जी की वही स्थिति है जो लंका के विभीषण की थी, जैसे कौरवों में भीष्म पितामह की थी, द्रोणाचार्य की थी । आज उनकी मदद कौन कर रहा है ? उनकी मदद आर०एस०एस० कर रहा है जो हिन्दुस्तान से जनतंत्र को खत्म करना चाहता है । उनकी मदद आनन्द मार्ग कर रहा है जो इस देश से जनतंत्र को सदा के लिए समाप्त करना चाहता है । आदरणीय जयप्रकाश जी को हिन्दुस्तान की समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मैं स्वीकार करता हूं । हिन्दुस्तान में कोई भ्रष्टाचार है, बेईमान है, तो वह नहीं रहना चाहिए, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं । अगर इस देश में जनतंत्र चलता है तो भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा, चाहे वह सरकारी पार्टी का ही भ्रष्टाचार क्यों न हो । लेकिन असेम्बली को डिजाल्व करना—इज इट जस्टिफाइड ? क्या राजनारायण जी, राज्य सभा में जो आए हैं, क्या वह यह चाहते हैं मैं यहां से निकाल दिया जाऊं ? नहीं चाहेंगे । तो आज जो स्टेट असेम्बली के इलेक्टेड लोग हैं, Let that Government be thrown out of power by the elected people.

मैं आपके द्वारा आदरणीय कामर्स मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इकानामी के मामले में हमारे देश में जो क्राईसिस है, या पैरलल इकानामी की समस्या है, उसमें हमारी सरकार को तय करना चाहिए कि इन आने वाले 5 वर्षों में हम मनी सप्लाई नहीं करेंगे। आज लोग अपने ब्लैक मनी को डायमण्ड में कन्वर्ट कर रहे है, सोने में कन्वर्ट कर रहे है, विदशों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, अपनी बिल्डींग्ज और फैक्ट्रीज का निर्माण करने में लगा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूं कि ब्लैक मनी कहाँ कहां खर्च होता है इसका पता लगा कर उस पर रोक लगाई जाए। ब्लैक मनी के लिए वांचू कमेटी ने जो रिकमेंडशंस की है और कहा है कि डिमानेटाइजेशन किया जाए, तो उसको लागू किया जाए। आर्डिनेन्स सरकार निकालती है, आर्डिनेन्स का मतलब होता है, चेक एनी करप्शन। आर्डिनेन्स पर बहस नहीं होती और लोगों का पता नहीं रहता आर्डिनेन्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। जमीदारी तोड़ने में गवर्मेंट एक घंटा लेट हुई और उसी में जमीदारों ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो आर्डिनेन्स का मतलब है आर्डिनेन्स जब निकल जाए तब उसके बाद ही लोगों को मालूम हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं रुपए का डिमानेटाइजेशन करना यह पहला स्टेप है। दूसरा स्टट है कि जितना ब्लैक मनी का इस्तेमाल लग्जरी गुड्स के उत्पादन में हो रहा है उसको रोक दिया जाए। दूसरे, जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल डाइमंड और सोने को खरीदने में हो रहा है उसको रोक दिया जाए। देश में मकानों का निर्माण रोक दिया जाए। मैं पूछना चाहता हुं, इसी दिल्ली के अंदर डिफेन्स कालोनी और उसको अगल बगल की सारी कालोनियां जो बनी हुई है वह किससे बनी हुई हैं? क्या ब्लैक मनी से नहीं बनी है?

यह जो इशेन्शियल कमोडिटीज का विधेयक पास होने जा रहा है, जाहिर यह इसका इम्प्लीमेन्टशन आप ब्यूरोक्रेसी के जरिए कराएंगे। तो जब तक इसको टाइम बाऊंड प्रोग्राम बना कर इम्प्लीमेंट वे नहीं करेंगे, उनको सस्पेंड करना चाहिए उनकी तनख्वाहों से वन-थर्ड सैलेरी काट लेनी चाहिए। जापान में क्या होता है, रूस में क्या होता है? सरकार ने पालिसी बनाई कि हम इतना उत्पादन करेंगे, इतने उत्पादन के लिए हम इतना मैटीरियल जुटाएंगे। उस हमारी पालिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी है। अगर ब्यूरोक्रेसी को हमने सारी चीजें मौहैय्या कर दीं और ब्यूरोक्रेसी ने हमारी स्कीम् को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो The entire bureaucracy will be held responsible for not having production in this country.

इसलिए मेरा निवेदन है, एक समूचे देश के लिए नेशनल पालिसी होनी चाहिए हमारी सरकार एक साल कहती है गेहूं की स्टेट ट्रेडिंग होगी, दूसरे साल कहती है नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की नीति से न तो हम फ्री इन्टरप्राइज इकानामी को डेवलप करेंगे न हम सोशलिस्टिक इकानामी को डेवलप कर पाएंगे। हिन्दुस्तान की तरक्की या तो सोशलिस्ट इकानामी से होगी या कैपिटलिस्ट इकानामी से होगी। लेकिन हमने सोशलिज्म को अपना ध्येय घोषित किया है। Socialism is the objective of our life. We are a free people. We want a free economy. We want freedom in the private sector. We want freedom of speech. We want freedom in foreign policy. We want freedom everywhere.

हमारी विरोधी पार्टी, भारतीय लोक दल जो बनी है, उसने कह दिया समाजवाद हमारा उद्देश्य है। तो स्टेट ट्रेडिंग सारी इशेन्शियल कमोडिटीज में क्यों नहीं होनी चाहिए? स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे देश की ब्यूरोक्रेसी उसी माडल पर रची जानी चाहिए और पूरे देश का एक नेशनल पूल

[श्री कल्प नाथ]

बनाना चाहिए । नेशनल पूल से, हमारी जो चीजें प्रोक्योर होती हैं, वे स्टेट्स के माध्यम से वितरित करनी चाहिए और जो फेयर प्राइस शाप्स हैं उन फेयर प्राइस शाप्स को लाइसेन्स देना चाहिए । इस तरह से हमारी नेशन स्टेट स्टेट से, डिस्ट्रीक्ट डिस्ट्रीक्ट से एक चौखम्भा राज्य की स्थापना करके डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ द पावर करके सारी हमारी स्टेट इकानामी को सेक्टर में बांट कर एक नयी इकानामी को जन्म देंगे । आज देश के पूंजीपति खुश है, बिरला और टाटा खुश है और इसलिए खुश हैं कि हमारी जो युनिट ट्रस्ट है, जो हमारा रिजर्व बैंक है, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनका पैसा पब्लिक सैक्टर के विकास के लिए लग रहा है । हमारे एल०आई०सी० का 60 प्रतिशत रुपया मोनोपलिस्टिक हाउसेज को मजबूत बनाने में खर्च हो रहा है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे देश की इकौनौमी को मजबूत करने वाज्ड संस्थाएं है, जैसे रिजर्व बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, युनिट ट्रस्ट और एल०आई०सी० हैं, इनका 100 प्रतिशत रुपया कृषि उत्पादन इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर का उत्पादन और जीवन की आवश्यक चीजों के उत्पादन पर खर्च किया जाना चाहिये तब ही जाकर हमारी इकौनामी बढ़ सकती है ।

Only when we are able to dynamise the economy of our country and feed the millions and millions of the people shall we have adumbrated the cause of democracy and socialism.

Thank you.

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, मैं एक मिनट के लिए एक पर्सनल एक्सप्लनेशन देना चाहता हूं । श्री कल्पनाथ राय यह कह रहे थे कि श्री राजनारायण जो इस राज्य सभा को भंग करना नहीं चाहते हैं । मैं तहे दिल से चाहता हूं कि यह राज्य सभा भंग हो जाय । जिस दिन हमने स्वर्गीय डा० जाकिर हुसेन के सामने शपथ ली थी हमने उसी दिन कहा था कि अब राज्य सभा की उपयोगिता नहीं रह गई है । ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं त्यों त्यों हम इस नतीजे पर पहुंचते जा रहे हैं कि राज्य सभा का खर्च बढता ही जा रहा है और जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है ।

श्री कल्पनाथ ने श्री बलराज मधोक को साम्प्रदायिकतावादी कहा है । मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे शिष्य रह चुके है और आधे पढ़े हैं और आधा पढ़ने के बाद रुक गये । मैं चाहता हूं कि वे भविष्य में अपनी जबान पर लगाम लगा कर रखें और उसके बाद बोलें । श्री बलराज मधोक को साम्प्रदायिकतावादी कहना बिल्कुल अन्धकार में टटोलना है । श्री बलराज मधोक से ज्यादा साम्प्रदायिकवादी श्रीमती इंदिरा गान्धी है जो इस देश में दंगे करवा रही है । *(Interruption)*

**श्री कमलनाथ झा** (बिहार) : अगर आपको इस बारे में रास्ता दिखाना है तो पहिले आप इस्तीफा दे देजीए ।

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, आप स्वतः जानते हैं कि जो सज्जन बोल रहे है, वे आपके और हमारे साथ रह चुके है । हम पहिले उनको निकालेंगे और उनके साथ ही साथ हम भी निकल जायेंगे

SHRI K. N. DHULAP (Maharashtra) : With your permission, Sir, I will make some observations on the Essential Commodities (Amendment) Bill, No. XXIII of 1974. At the outset, I will crave the indulgence of this honourable House, and particularly the hon. Minister who moved this Bill here. It is not for the first time that this amending Bill has been introduced in this House. The original Bill was passed in 1955. Since then seven times has this Act been amended in

this House—Act No. 13 of 1957, Act No. 28 of 1957, Act No. 17 of 1961, Act No. 25 of 1966, Act No. 14 of 1967, Act No. 36 of 1967 and Act No. 66 of 1971. This is the eighth time that this is being amended in this august House. All these amendments were moved in this House with the sole intention of making the provisions of the Act more stringent. But in spite of all these amendments brought forward during these 19 years, and with all the magistrates and courts, etc. they have not been in a position to diliver the goods. While moving this Bill, the hon'ble Minister has told this august House that this Bill is being introduced with the sole intention of making it "more stringent than the parent Act". I quote from the speech of the hon'ble Minister. He said :

> "I would like to make it very plain that the Government is determined to curb unwholesome business practices like profiteering, hoarding, black-marketing and charging higher prices for essential commodities and in an extraordinary situation, extraordinary measures are called for. With the intention of firmly dealing with these unwholesome business practices, Government has decided to bring about this piece of legislation and made it more stringent than the parent Act."

Sir, I do not want to attribute any motives. It is not in my nature to challenge the *bona fides* of the hon'ble Minister but in spite of his statement before this honourable House, let me tell him frankly here, through you, Sir, that he will not be in a position to curb all these unwholesome activities prevalent at present in the trading community.

Sir, my first charge is that by bringing this amendment the hon'ble Minister has diluted the provisions that are already in existence in the original Act. It is made lukewarm. Everything has been made milder than what it was in the parent Act. I will not bring in any extraneous consideration in my speech. I will restrict my speech only to the amendments which are before the House for consideration. For example, the hon'ble Minister has stated that in order to make the provisions more stringent, more effective he wanted to make the provisions in the Act cognizable and non-bailable. Sir, in the original Act itself the provisions are cognizable. In this amending Bill the hon'ble Minister has deleted the words "or bailable". So in the original Act the provision was cognizable and bailable. Now the hon'ble Minister seeks to delete the words "and bailable". But in the Bill here he has not used the words "cognizable and non-bailable". Why has he not used the word "non-bailable"? If you want to make the provisions of this Act non-bailable, then you have omitted the word "bailable". He has safely omitted the word "bailable" and not incorporated in this amending Bill the words "and non-bailable". The words should have been there. He has left it to the sweet will of the courts. We know what the courts in this country are. Certain people do not like to call it a committed judiciary. I do not say that they are committed. They are not committed. On the contrary they come from a certain strata of society. They have got their links with the trading community and higher-ups in the society, and, naturally, when the words "non-bailable" are not in the Act itself then they will say that the Act is passed by Parliament itself. If the Legislature so wished they would have used the word "non-bailable". And as the word "non-bailable" is not there, the court will opine that it depends on the sweet will of the court and it will bail out the accused person because any accused person, according to our judicial system, unless and until the offence is proved against him, is supposed to be a citizen of this country like any other citizen and nothing can be said against him as an accused person. If the accused perss on comes under the sections of the Penal Code, then the judges will say

[Shri K. N. Dhulap]

that a criminal is before them. If he comes under any other Act, any of the social Acts, dealing with the trading community or the higher-ups in the society, he is not treated as a "criminal" by the court. He is a respectable citizen of the trading community. And as the work "non-bailable" is not there in the Act, they will be bailed out very easily by the courts in this country.

Now, Sir, why is this Bill before the House? Because an Ordinance was promulgated by His Excellency the President. Why? Because in the first quarter of this year, there were spurious drugs in abundance in the market and they took the lives of so many innocent persons—children, women and old people. In order to brings drugs under the essential commodities, this Ordinance was rushed through and this legislation is now before the House for consideration. I will request the hon. Minister to stay the passing of this Bill. He should think over the provisions that have been incorporated in this amending Bill, and after giving due thought to them, he should again bring a new Bill with provisions which are really effective and stringent. This is the first thing that I wanted to bring to the notice of the hon. Minister.

The second thing is, the hon. Minister stated that summary proceedings have been provided for in the Bill. Sir, provision for summary proceedings was there in the original Act itself. This is nothing new here. On the contrary, by bringing this provision in this amending Bill, the Minister has diluted the provisions that were there already in the original Act. In the original Act, the provision for summary trial was in section 8A(1). It was like this :

> "Provided that, in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the special Judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year."

That was the provision there. Otherwise all the provisions that were incorporated in the original Act were for making it more effective and stringent. But according to this Bill, if the Magistrate thinks that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be imposed, or for any other reason he thinks that it is undesirable to try the case summarily, there will be no summary trial.

The provision is like this :

> "Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily..."

Then he should proceed according to the provisions of the Act and not summarily. If it is for more than one year, if it is for that reason, I have no grudge. I object to the words, "...or that it is for any other reason". Here again these courts are given discretionary power whether to try the accused summarily or not. It is left to the sweet will of the court itself. This should go. This is not making the amendment stringent and effective; on the contrary, it is making it diluted and ineffective. (*Time bell rings*) I will only go through certain amendments incorporated in the Bill and conclude.

Clause 11 of the amending Bill brings in the element of jurisdiction of the civil court which was not there in the original Act. The honourable Minister wants to do away with dilatory and time-consuming legal proceedings, but he brings in the civil court here. It is very interesting to read the provision in Bill. Clause 11 reads like this :

> "No civil court shall grant an injunction or make any order for any other relief against the Central Government or any State Government or

a public officer in respect of any act done or purporting to be done by such Government, or such officer in his official capacity, under this Act or any order made thereunder, until after notice of the application for such injunction or other relief has been given to such Government or officer."

What is this? "Any order passed by any officer of the Central Government or State Government" can be called in question in a civil court and when civil courts come in... (*Time bell rings*)... proceedings will go on for years together. And this is what I am opposing. This is why I am opposing this amending Bill. I would request the honourable Minister to stay the passing of this Bill and bring a fresh Bill before this House after applying his mind to its provisions.

**श्री भैरों सिंह शेखावत** (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया उस पर जितने भी भाषण हुए उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सरकार का आउट राइट कंडमनेशन है। कई माननीय सदस्यों ने जो सत्तारूढ पक्ष के हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इस विधेयक से चोर-बाजारी बढेगी, ब्लैक मार्किटिंग बढेगी, भ्रष्टाचार बढेगा। बल्कि कुछ माननीय सदस्य तो इस सीमा तक भी चले गये कि उन्होंने यह सुझाव कर लिया यदि सत्तारूढ पक्ष एक लाख रुपए का डोनेशन देता है तो उसमें 10 हजार रुपए का ब्लैक मनी होता है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उनको इसी रूप से पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसमें काफी सुधार किए जाने की गुंजाइश है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सरकार इस कानून के प्रति ज्यादा उत्साहि नहीं है। यह इस बात से पता लग रहा है जिस दिन आर्डिनैन्स इशू किया गया था उस आर्डिनैन्स से लेकर अब तक जो भी समय निकला है किसी भी राज्य में अभी तक न तो मूल्य गिरे है और न वस्तुए उपलब्ध होने लगी हैं बल्कि उसके कारण से वस्तुओं को प्राप्त करने में एक भयंकर कठिनाई उपन्न हुई है। मेरी यह मान्यता है कि जिस प्रकार का कानून बन रहा है उस कानून में सरकार ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर्स लेना चाहती है, जो कि कलेक्टर्स के नाम पर ले रही है, मजिस्ट्रेट के नाम पर ले रही है, नोटिफिकेशन इश्यू करने के नाम पेरले रही है और इसी प्रकार के लाइसेन्स और पर्मिट जारी करने के नाम पर डिस्क्रेशन इस्तेमाल करना चाहती है, इस सदन में इस प्रकार की चर्चा रही कि इस प्रकार के डिस्क्रेशन का एक भी उदाहरण इस सदन में नहीं दिया गया जिससे यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वास्तव में डिस्क्रेशन जन-हित के उपयोग में लिया गया है बल्कि हर माननीय सदस्य ने यही बात कही है कि इसका दुरुपयोग हुआ है। मैं मानता हूं, मेरा संदेह है, जो सही निकलेगा सभापति महोदय, कि यह कानून इसी प्रकार का बन गया तो कोई ब्लैक मार्केटियर नहीं पकड़ जाएंगे लेकिन ब्लैक मार्केटियर्स से पोलिटिकल परपजेज के लिए पोलिटिकल लीडर्स, आफिसर्स मनी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और मनी एक्सट्रैक्ट होगा इसलिए इस लिब का नाम कोई इसेन्शियल कमोडिटिज लिब के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं इस बिल का नाम रखना चाहिए इसेन्शियल डोनेशन्स फार द रुलिंग पार्टी बिल 1974। अगर इस परपज के अलावा इस बिल का कोई भी परपज माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर मे बता दें कि अब तक के इम्प्लीमेंटेशन से कुछ फर्क पड़ा हो, या भविष्य में इस सरकारी मशीनरी से कोई फर्क पड़ने वाला है—चीजों के भाव घटने वाले हैं, या उपलब्धियां बढ़ने वाली हैं उत्पादन बढ़ने वाला है तब तो विश्वास होगा वरना इस प्रकार का जो अब तक का इम्प्लीमेन्टेशन हुआ है उसको देखते हुए इसको

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

लाने का कोई कारण नहीं बनता इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार इस बिल का निश्चित रूप से राजनैतिक आधार पर के ऊपर दुरुपयोग करेगी राजनैतिक आधार पर चंदा इकट्ठा करेगी मैं अपने अमेन्डमेंट में यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि सरकार ने किस प्रकार से चंदा इकट्ठा किया है और एडवान्स में सरकारी बेन्च के प्रवक्ताओं ने भी कह दिया है। मैं चाहता हूं मेरा यह जो चार्ज है उसको कोई भी कांट्रेडिक्ट करे। ऐसी स्थिति में इस कानून से जबरदस्त होर्डिंग शुरु हुई है। अगर आप जाकर देखें तो हिन्दुस्तान में कोई शहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां कि, जिस दिन से यह कानून बना या जिस दिन से कि सप्लीमेंटरी बजट की बात आई उस दिन से नए टैक्सों की चर्चाएं चलने लगीं हैं और माल गायब होने लगा है। कोई भी वस्तु इसेन्शियल कमोडिटी के अधीन नहीं है जो बाजार से गायब न हो गई हो और इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर चीजों का रूप वही होगा, ब्लैक मार्केटियर्स का रूप वही रहेगा लेकिन जो आदमी इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए रेस्पांसिबल बनाए गए हैं वे निश्चित रूप से लूटेंगे और जल्दी ही सब प्रकार से लखपति हो जाएंगे। इसलिए मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट किया जाए, इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Sir, in the course of the debate, many points have been made by hon. Members and first of all I want to make it abundantly clear that the arguments offered by Shri Shekhawat for rejecting the Resolution are not sound and are not warranted by facts and therefore do not appear to me in any way acceptable. But I must touch upon the main points referred to by hon. Members. I must be very clear on one thing. The objective of the Bill is already there. But as several hon. Members have made out many points marginally unrelated or altogether unrelated to this Bill, I must say that the Bill wants to provide for more stringent punishment for the violation of the provisions of the Act and to make the implementation of the Act more effective. Now, these are the two specific objectives.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Would you clarify one point? You have said that it is for providing "more stringent punishment" and for making the implementation of the Act "more effective". Now, under the old Act, how many big shots have been arrested and put in prisons? You have arrested many persons throughout India. This is what you say. If that is so, give the number of those who have been arrested and tell us how many big shots amongst them have been imprisoned? Name them.

SHRI RAJNARAIN : Yes. That is right.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : I do not have the figures and I do not know who have been arrested or put behind bars. But many business people have been arrested. But the facts and the figures in detail are not with me now. But the point is this : If a Bill or an Act has not produced good results, it is no argument that attemps should not be made to make it more effective. So, this argument is only academic and hollow. I do not, therefore, think that we should not make any determined effort to make it more effective and effectiveness depends not only on the Central Government, but also on the State Governments, not only on the ruling party, but also on the Opposition parties.

SHRI NIREN GHOSH : How? How is it? Tell me how it is so.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : It is like that.

SHRI NIREN GHOSH : Spell it out.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : You kindly bear with me. If I go on doing it, the debate will be transformed into a question-and-answer affair. Let me make my points now. If you want any clarification from me, I would try to give you the clarification later. Now, let me make my points first.

The point is that this Act is important and doubly important in the present context of scarcities. The point of scarcity and the point of corruption have been mentioned as the two main causes for the present economic maladies of the country. I find that these are off the point. I do not know how, by going into the details of the corruption charges, the causes thereof and looking into the question of scarcities and other things in detail, we can really contribute substantially to the debate on this particular Act. What I would like to make clear first is that corruption is a social disease and one single party cannot be singled out for that.

SOME HON. MEMBERS : *No, no.*

SHRI NIREN GHOSH : No, no... *(Interruptions)*.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : Mr. Niren Ghosh, I am not going to yield to you, because you have already taken your time and made your points and now it is my time. The point is that corruption is a social disease and no particular group or no particular political party should be singled out. Let us take the responsibility, if there is. But, at the same time, I must make one point very categorical and that is that we are presenting the case of corruption in a way, in a fashion, that it looks as if the whole country is a corrupt country, the whole nation is a corrupt nation, and I do not know how it adds to the dignity of the political parties of this side or that or to the nation as a whole to speak like that.

SHRI NIREN GHOSH : What to do? Whatever we say, the Government does not heal to that...

*(Interruptions)*.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : I do not know. But corruption is not the monopoly of any party or any group or any section in the country. It is a social disease.

SHRI NIREN GHOSH : It is the monopoly of the ruling party.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : That you may say, because it is your own opinion.

SHRI RAJNARAIN : Corruption is the monopoly of the ruling party in India today.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : Corruption is a social disease and you cannot just remove it by any propaganda. It is only political campaigning and we are almost tired, if not sick, of these things. So, I do not think that it deserves any serious refutation or any consideration in depth. If you take...

SHRI NIREN GHOSH : Because you cannot do it.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : You must do some introspection to see whether its root causes are purely political or only the ruling party is responsible for it or whether there are other causes which make it more general and more pervading. So, don't try to make a serious thing look cheap by repeating it. You cannot make an untruth a truth.

SHRI NIREN GHOSH : You are doing it. . . *(Interruption)* . . . Corruption is there very much. The Government is responsible...

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : It is not like that. Corruption is every where and it is not the monopoly of anybody. We have not said that corruption is the monopoly either of the Lok Dal or of the CPM or of any other party. We have not said that. Don't try to treat the problem lightly which is much more serious and don't malign everybody with one single cheap political brush. Please be more serious, more introspective, before you hurl these wild charges...

SHRI NIREN GHOSH : We have given you thousands of instances...

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Taking the rights and privileges of Members of Parliament, anybody can say anything on the floor of the House. That's why I would request you, in view of these sacred rights, to be more judicious in making any such charges.

Now, I am mentioning this in deference to Shri Rajnarainji, because he mentioned that corruption and scarcity are two causes of all bad things we see around us. It is an over-simplification of an otherwise complex disease; it is a social problem and much more deep-rooted. In regard to the economic scarcity, Government have taken very serious measures and steps. Sir, there are very hard options. We are passing through difficult circumstances. Everybody admits it. We do not have the power or the capacity to tackle this situation adequately. To solve it adequately, we need every sort of co-operation of all concerned...

SHRI NIREN GHOSH : I will give you one suggestion. You just give the people of India a blank cheque to get at the corrupt people, big or high or low, and then you see what happens in India...

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: This 'moral', very 'laudable' and 'sacred' suggestion is something like a rule of the jungle. No civilized State, no civilized Government, has ever given such an authority ever in history to the people at large. You cannot bring democracy and morality on to the streets.

**[The Vice-Chairman (Shrimati Purabi Mukhopadhyay)** in the Chair]

Madam, you know, we have taken some very drastic steps. We do not claim that they are sufficient. Something much more has to be done, and is being done. But those steps were necessary and those were taken, and we are taking steps to see how black money and corruption can be stopped. . .

SHRI NIREN GHOSH : No, no. Nothing...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY : No running commentary, please.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Mention has been made of black money. Our colleague, the Minister of Finance, and the Prime Minister, during the course of her reply in the other House, have made it absolutely clear that these economic and social diseases have to be combated at their roots. Government is thinking of plugging the loopholes which help in generating of black money...

SHRI NIREN GHOSH : No, no...

*(Interruptions)*

DR. K. MATHEW KURIAN : Sitting commentary...

AN HON. MEMBER : Habits die hard...

*(Interruptions)*

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Please try to bear with me.

You know, Madam, that our public distribution system is being strengthened, and vulnerable sections are being brought under public distribution system. Also, a part of increased wages is being immobilized. Money circulation is being restricted. All these measures are correct steps in the right direction. So these measures are a clear proof, if proof is at all necessary, of Government's determination to fight...

SHRI NIREN GHOSH : Not at all. It is not touching the fringe of the problem...

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: These are correct steps in the correct direction...

DR. K. MATHEW KURIAN : It is a clear attempt of wage freeze...

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: No, it is not. You cannot have it both ways. When there is more circulation of money, you say that inflation is going

on. When circulation is restricted, you say it is freezing. You know it very well that it is immobilizing.

SHRI NIREN GHOSH : The R.B.I. credits have been squeezed and the money supply has gone up.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY : Mr. Ghosh, before you get up, please take the permission of the Chair.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: It is only intervention and no contribution. Madam, we would like to make two points absolutely clear. We have taken over two essential commodities, i.e. food and cloth. It is known that the Government has taken bold steps regarding food procurement and distribution. The Prime Minister herself has taken responsibility in this matter. She has herself become the Chairman of the Food Committee. She herself has been moving from State to State acquainting herself about the problems and guiding and directing the State Governments. Madam, we have raised the quantum of the standard cloth cent per cent from 400 million meters to 800 million meters.

SHRI NIREN GHOSH : With 40 per cent increase in price.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I would like to say that according to Government's own calculation, the cost of production of cloth has gone up by 100 per cent during the last 6 years.

SHRI NIREN GHOSH : How is the entire textile industry making big profits?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Please sit down. In a very pertinent context, Dr. Kurian himself was making the point that you cannot insulate the prices of essential commodities when there is overall inflation. Now, I take that very point in the case of the price of cloth. How does the price mechanism or the price structure of one particular commodity — cloth in this case — can be insulated when there is rise in the cost of production of all other commodities during the last six years?

SHRI NIREN GHOSH : What steps have you taken during these six years?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Ghosh, please allow the Minister to make his statement.

*(Interruptions)*

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Mr. Rajnarain, please listen to me first and then you can give your judgment. During the last six years, this is one commodity whose price has not been allowed to go up. Our Cost Accountants have found that the cost of production has gone up by 100 per cent. *(Interruptions)* You are intervening without listening to my point. If you can contest it, you contest it later on. Your distress for argument makes you impatient. You are a veteran parliamentarian. You know how to debate. You had your time. Now, you are not listening to my arguments. If you keep down the price of textiles artificially for six years, the result is that more and more textile mills are falling sick. 103 mills out of 600 mills have fallen sick in the last 4 or 5 years. The cost of production has gone up by 100 per cent. We have neutralised it only by 30 cent and 70 per cent still remains unneutralised.

DR. K. MATHEW KURIAN : Would you allow me an interruption? Unfortunately, Mr. Minister, you took a wrong conclusion from what I said. I said that you cannot control the price of a commodity in an ocean. The prices are rising everywhere. That is true. But from that you cannot justify the increase in the price of cotton cloth because it is your Government which is responsible for increase in the prices all along the line. Therefore, the criticism is that you cannot justify the increase in the price of coarse cloth by referring to the increase in prices across the line.

[Dr. K. Mathew Kurian]

Who is responsible for rise across the line? Why didn't you control the price of raw material?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I do not like to go into the details of the argument. But when the inputs' cost go up, the factors of production go up in terms of price.

DR. K. MATHEW KURIAN: You control them.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: You cannot control the economy, in a democratic set up, with all inflationary pressures.

So, not only in respect of cloth, but in respect of other commodities also, the Government's policy has been very clear. It is to see that the growers, for example, of the agricultural products like cotton, jute, oilseeds and tobacco get the right sort of prices.

SHRI NIREN GHOSH: As far as U.P. is concerned, it is. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Mr. Ghosh, you are interrupting too much. Yes, Mr. Minister.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I have respect for him. That is why I yield to him and listen to him. Otherwise, I can go on shouting because I am younger to him and my voice is more stronger than his. The point is that the Government have taken certain steps and certain Corporations have been formed. It may be true that the performance of the Corporations may not be satisfactory in all cases. But it would be quite incorrect to say that the Government have been a passive spectator to the sad plight of the cash crop growers like cotton growers or the jute growers. I do not like to go into the comparative economics of the cotton crop and the jute crop. But we have been trying and our attempts have yielded some positive results. Mr. Ghosh, you know full well that the jute growers got last year the highest price ever.

SHRI GUNANAND THAKUR (Bihar): No, Sir, The jute growers are not given the proper price.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I think it was the highest price that they could get. The Government's policy is to see that the growers get the right price. For controlling the price line, the public distribution system has been strengthened and certain steps have been taken. For example, formerly, food and essential commodities like cloth, etc. were to be distributed only in big cities. Now attempts are being made to see that all these things are distributed in the town below level and even in small towns with a population of 50,000 or 25,000, and given time, even to the level of 10,000 people. Steps are being taken to see that essential commodities are made available to the concentrated areas of labour and public sector undertakings like the Coal Mines Authority, the Hindustan Steels, etc. So, the distribution system is being strengthened and broadened. And that is also a positive measure to hold the price line.

Now, Sir, these corporations, which we are referring to, are also helping the cash-crop growers. I have already said and I repeat that still these are not resorting to monopoly prices and, therefore, free market forces. Therefore, in all cases they are not getting the fair price. But, by increasing the coverage by these corporations and by increasing the area of the operations, the price level will be more and more controlled equitably and in favour of the growers.

SHRI NIREN GHOSH: You have been saying this for the last 25 years.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Their position has improved. But, I agree with you that their position should be further improved and attempts are being made and, therefore,

if you look into the activities of every corporation year after year, you will see that their areas of operations have increased.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Their conditions have not improved.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Relatively, yes.

Now, I will come back to the question of the Bill proper. Madam, it has been said that some of the provisions of the Bill have not been made sufficiently strong. I would like to say that we have provided that maximum punishment should be raised from 5 years to 7 years. We have also made it clear that this will be cognizable and non-bailable at the police level, *i.e.*, in the name of the executive. The courts will have the discretion to see if somebody is not being unnecessarily harassed. At the same time, when Government comes forward with some strong measures the Government is criticised and it is said that they have brought forward a Draconian or a Spartan law. Now, it is true that we should be very strong.

(*Interruptions*)

SHRI RAJNARAIN: मैं यह जानना चाहता हूं कि साढ़े चार हजार बोरी आटे की मोदी फ्लोर मिल की जो पकड़ी गई, उनको क्यों छोड़ दिया गया ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): You cannot bring in new points while the Minister is replying. Otherwise, it will be an un-ending debate.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I am not going to refer to any particular case, this or that, because the facts of each one of them are questionable and contestable. I am confining myself to this particular Act. So, by making it non-bailable, we are making it stringent but there is no such case which is absolutely non-bailable. Even when a murder case is brought against a man, the court may, in its wisdom, in some case grant bail. So, if I say it is non-bailable in all cases, it is a legally untenable position. So, in all eagerness to be hard and rightly so with the violators of this law, we should not cut across the basic principles of the law. We have made a non-bailable provision in this Act but that is to see that they do not easily get away after committing this sort of crime.

Now, we have raised the minimum punishment and we have also raised the maximum punishment. It is made non-bailable. Now, all these steps converge on one point and that is the Government's determination to see that the Essential Commodities Act is not violated. But, I must say that the other point which has been repeatedly urged by hon. Members like Dr. Z. A. Ahmad, Shri Rajnarain and others, and which is the main point, is the point of implementation.

5 P.M.

This law is good but the goodness of the law depends upon its right sort of implementation. On this point there cannot be two opinions. As I have said, Madam, you will appreciate that any law, not only this law but any law, important or not so important, for its implementation depends upon social consciousness, people's participation and people's co-operation.

SHRI RABI RAY: It is the Government's will to implement it.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I am coming to the point. There are so many laws right from the Sharda Marriage Act or the Medical Termination of Pregnancy Act which, as the Health Minister, I piloted and I have said that—and it is well known—the laws which have to be implemented are to be implemented on the basis of compelling social opinion. So, when you say blackmarket is a phenomenon, corruption is a phenomenon which can be

[Prof. D. P. Chattopadhyaya]

combated by the ruling party itself, the ruling party is given a credit which it does not deserve because it is not a performance, it is not an ability of one party to do it, because the ruling party is a part of a big society where there are so many social forces. I wish the ruling party had been big enough, competent enough, strong enough to comprehend by its power and ability and function all forces of the society—good, bad and indiffrent—but that is not. Here is a case in the field of implementation. Other political parties, instead of resorting to the rhetoric of corruption, will have to come forward. You criticise us; we don't mind. In a democracy you are there and criticism is a part of democracy. You criticise us but do not say that for the implementation, from Alpha to Omega, from A to Z, all implementation depends upon the ruling party by which you are unwittingly or unintentionally heaping praise on all of us. But I think you also have your part to play and a very important part at that. You are projecting an image of the nation as a nation of corrupt people which is not the case, and you are taking delight in projecting a wrong image of the country and the people to outside people and to ourselves. It is not adding to our prestige.

SHRI RABI RAY : It is of the Government, not of the people.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : In your excitement of rhetoric you forget that distinction and demarcation. In your excitement you forget even that.

SHRI NIREN GHOSH : You are tarnishing the people's image before the whole world.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : I entirely agree that the crux of the question is implementation. Here I think the State Governments will take more initiative. Here we will seek the co-operation of the State Governments and will talk to them. We are in touch with them. This has been approved by concerned State Governments. Many State Governments have suggested these stringent measures and the Law Commission also has suggested it. It is in pursuance of public opinion, the State Governments' views and the Law Commission's recommendations that we have brought forth this Bill. I agree with the criticism or critical observations of the hon. Members that the main thing about this Act consists in its implementation. If it is properly implemented—it may not be good enough —it will certainly be good. So, with this point I solicit, and I do hope I will get, the co-operation of the Opposition leaders. They should, instead of highlighting only the corruption of the society, also highlight the necessity of the co-operation in the implementation of this crucial Act.

With these few words, Madam . . .

SHRI A. G. KULKARNI : What about industrial raw materials?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Madam, you might have observed that as per section 2A the list of essential commodities can be modified and enlarged. As we have done in this amending Bill—we have included woollen and cotton textiles, foodstuffs, drugs—if and when necessary we can include raw materials also. The law provides for that, but there cannot be a complete inventory of all essential commodities. From time to time it is bound to change and we have changed it this time. It is an open clause; we may change it or add to it in future whenever necessary.

With these few words I commend this Bill for consideration and acceptance of the House and of hon. Members.

SHRI NIREN GHOSH : It does not matter if a Doctor of Philosophy handles foreign trade and commerce but it

is well known to everybody that this particular Ministry is one of the principal tax collectors for the Congress Party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Good. I shall now put the Resolution to vote.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Madam, I would just like to say that this observation is baseless, unfounded, unwarranted, unjustified and untenable.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Very good.

The question is:

"That this House disapproves the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1974 (No. 2 of 1974), promulgated by the President on the 22nd June, 1974."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): I am now putting the Bill to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

*Clause 2—(Amendment of section 2)*

SHRI B. S. SHEKHAWAT: Madam, I move:

1. "That at page 1, after line 13, the following be inserted, namely:—

'In section 2 of the principal Act, in clause (a), after sub-clause (x), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

'(xi) soap excluding hand-made soap, tooth paste and razor blades;

(xii) fertilisers;

(xiii) pumping sets below 5 H.P. and accessories;

(xiv) footwear excluding hand-made footwear;

(xv) stationery;

(xvi) text-books;

(xvii) cotton yarn;

(xviii) match box;',".

उप सभाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा मैंने प्रस्ताव रखा है कि साबुन, टूथ पेस्ट रेजर ब्लेड, फर्टिलाइजर, पम्पिंग सैट, फुटवियर स्टेशनरी, टैस्ट बुक्स, काटन यार्न, मैच बाक्स यह जो इसैन्सियल कमोडिटीज की लिस्ट है जिस का पेरेन्ट ऐक्ट में प्रावधान नहीं है, उनको इस इसैंसियल कमोडटीज लिस्ट में शामिल किया जाय। इस कानून में इस तरह की व्यवस्था करना आवश्यक है क्योंकि

"any other class of commodity which the Central Government may declare to be an essential commodity for the purpose of this Act being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of . . ."

सरकार को निश्चित रूप से अधिकार है कि वह एक नोटीफिकेशन के द्वारा किसी भी कमोडटीज को इसैंसियल कमोडटीज की लिस्ट में शामिल कर सकती है जो इस समय शामिल नहीं है। लेकिन प्रश्न करने का नहीं है क्योंकि मैंने आरम्भ से ही कहा है कि प्राइस कंट्रोल करना इस सरकार की बुते के बाहर है और अब यह चीज सरकार के हाथ से चली गई है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार इन चीजों को शामिल करती है तो सरकार को निश्चित रूप से इन चीजों के बारे में एक्शन लेना पड़ेगा वरना नोटिफिकेशन का जो प्रश्न है वह सरकार के लिए डिसक्रेशनरी हो जायगा

[Shri B. S. Shekhawat]

सरकार किसी भी वस्तु को अपनी मर्जी के मुताबिक इसेंसियल मोडटीज ऐक्ट के मातहत आवश्यक वस्तु बता सकती है और ऐसा नही भी कर सकती है। इस तरह का डिसक्रेशनरी पावर सरकार को देना इस सदन के अनुसार सरकार उसको दुरुपयोग ही करेगी क्योंकि यह हमने पहिले भी देख लिया है और भविष्य में भी इसी तरह की सम्भावना है।

निवेदन करना चाहता हूं कि इन वस्तुओं को शामिल कर लिया जाए ताकि बारबार नोटिफिकेशन की आवश्यकता महसूस न हो। और जो इन चीजों में डील करते हैं, चाहे मैनूफेक्चरर हो या डीलर हो उनके दिमाग में यह चीज बैठे कि यह एसेंशियल कमोडिटी है, इसके लिए कानून बना हुआ है, इसकी होर्डिंग, प्रोफीटियरिंग सब कानूनन अपराध है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज कई बार धारिया कमेटी का रिफरेंस दिया गया। मैं उसको रिपीट नही करना चाहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): All these points were raised during the main debate. You only move your amendment. We have taken too much time.

**श्री भैरों सिंह शेखावत**: वे पोइन्ट्स नहीं हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): You have already made these points.

**श्री भैरो सिंह शेखावत** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि सुनने के बाद आप इम्प्रेशन बनाएं तो ज्यादा ठीक होगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय)** : डेढ़ घंटा हो गया।

**श्री भैरो सिंह शेखावत** : मैंने तो लिया नहीं।

SHRI RABI RAY: He is making some new points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): You just move your amendment.

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : मैं निवेदन कर रहा था कि धारिया कमेटि का रिफरेंस आया, लेकिन मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। उसमें कई बातों का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक्स के संबंध में सारे हिन्दुस्तान में क्या हालत है। सरकार ने सस्ते भाव पर का गज खरीदा, सस्ती छपाई हुई---यह नही कि पबलिशर्स ही लूट रहे हों---स्टेट्स के टैक्स बुक्स के जो बोर्ड हैं वे सब जगह कीमत बढ़ा रहे हैं।

इसी प्रकार से फुटवियर के मामले में बाटा, फ्लैक्स और भार्गव है। सब चीजों के ऊपर आप कन्ट्रोल कर रहे हैं, सब चीजों की प्राइज फिक्स कर रहे है लेकिन आपने इस चीज के संबंध में विचार नही किया कि फुटवियर की किस प्रकार की स्थिति है, पिछले 20 वर्षों में कितने भाव बढ़े हैं, पिछले 20 वर्षों में कितना उत्पादन बढ़ा है, पिछले 20 वर्षों में रा-मेटिरियल किस सीमा तक उपलब्ध हो रहा है। यह ऐसी वस्तु है जिसका हर आदमी इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों में अलग अलग चीजें बन रही है अलग अलग कम्पनियों के अन्डर प्लास्टिक के जूते बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल सर्वे को देखें तो आपको यह जानकारी मिलेगी जिस प्रकार का मैटिरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उससे बच्चों और गरीब लोगों में स्किन डिजीज बढ़ती जा रही है और इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्लास्टिक का सामान सस्ता मिलता है बनिस्बत चमड़े के और गरीब लोग प्लास्टिक का सामान लेते हैं। उनके बच्चों को स्किन डिजीज होती है, वे उनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते और बहुत समय तक उन्हें भुगतना पड़ता है।

म सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फुटवियर का प्रश्न बहुत अहम प्रश्न बन गया है और इसकी कीमत को हम खुला नहीं छोड़ सकते, इसको हर हालत में रेगुलेट करना पड़ेगा।

फर्टिलाइजर के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं। स्टेशनरी का प्रश्न इसी प्रकार है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर आप शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा ज्यादा लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। योजना में सोशल सर्विसेज के नाम पर आप करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते हैं और आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या किताबों की तो है ही, कागज और पेंसिलों की भी हो गई है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है . . .

**एक माननीय सदस्य :** आप बोल चुके, अब बन्द करिए।

**श्री भैरों सिंह शेखावत :** आप तो जीना भी बन्द करने वाले हैं। काटन यार्न का भी प्रश्न है। जो लोग धागे से काम करने वाले है वीवर्स है और लेबर है वे हिन्दुस्तान में भूखे मर रहे है। उनको समय पर यार्न नहीं मिलता, उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार से मैच-बाक्सेज का है। जो लोग सिगरेट बीडी पीने वाले हैं या जिनको चूल्हा जलाना पड़ता है उनको मैच-बाक्सेज की आवश्यकता होती है। बाजार में मैच बाक्सेज खरीदने के लिए कोई जाए तो उसे वाजिब मूल्य पर मिल जाय इसकी कोई संभावना नही है। इसलिए मैं निवदन करुंगा कि इन आइटम्स को शामिल किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

*The question was proposed.*

**श्री राजनारायण :** मैं श्री भैरों सिंह शेखावत जी ने जो संशोधन दिया है उस के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और अगर सरकार इसको इस में शामिल नहीं करती तो इस से जनता को बहुत ही नुकसान होगा। माननीया, आप देख रही हैं कि इस समय साबुन की कितनी किल्लत है। हम को तो दिल्ली में साबुन मिल नही रहा है। हम मुजफ्फरनगर से साबुन मंगा रहे हैं। तो साबुन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के भी इस मे शामिल होने की आवश्यकता है। आज टूथ पेस्ट और रेजर ब्लेड्स की भी वही हालत है और उन की इतनी दिक्कत पड़ रही है कि अगर उन को एसेंशियल कमोडिटीज में नही लाया जाता तो आज जिस ढंग से सरकार विधेयक लायी है केवल सजा बढ़ाने की बात से आप के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने वाली है। पहले भी प्रश्न किया जा चुका है और अभी हम ने प्रश्न किया है कि साढे चार हजार बोरा आटा दिल्ली से लगे मोदी फूलोवर मिल का पकड़ा गया। वह आटा पकड़ लिया गया और फिर छोड़ दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस कानून के रहते हुए आप की 5 साल की सजा कहां चली गयी! उन को पांच साल की सजा क्यों नहीं हुई? वह एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में पकड़े गये थे। उर्वरक में आप देखें कि सभी प्रकार की खादें आती हैं और सरकार ने अपनी ओर से पहले ही उर्वरक को इस में शामिल क्यों नहीं कर लिया यह बात मेरी समझ में नही आती। उर्वरक को अगर इस में शामिल नही करेंगे तो यही एक बात आज की कृषि व्यवस्था को तबाही की ओर ले जानी जाने वाली है। इस लिए मैं हर तरह से अदब के साथ अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उर्वरक को इस में जरूर शामिल करें। इसी तरह से 5 घोड़ों की ताकत से कम शक्ति वाले पंपिंग सेटस है उन को भी इस में शामिल किया जाना चाहिए। उन का किस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन हो, वह कहा जाते हैं, कैसे मिलते है किस को मिलते है इस की कोई परवाह सरकार को नहीं है और इस से खेती की सारी व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। हाथ से निर्मित जूतों के अतिरिक्त जूतें, शायद इन की मुसीबत की पूरी जानकारी मंत्री जी को न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं

[श्री राजनारायण]

कि आज अपने देश का चमड़ा रुस को भेजा जा रहा है और उस चमड़े के जूते रुसी बना कर एक का चार दाम ले कर ब्रिटेन और अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशों को बेच रहे हैं। हमारे देश का चमड़ा जाता है जब कि हमारे यहां ही लोगों को उस की आवश्यकता है, वहाँ क्यों भेजा जाता है। हमारे जूते उसके कारण महंगे बनते हैं। आप कानपुर जाइये, मैं किसी भी सदन के माननीय सदस्य से कहता हूं कि वह कानपुर चले जायं, वहां मिलिटरी के लिए जूतें बनते है। आज उन की कीमत में कितना गबन और कितनी गड़बड़ और घोटाला है आप सोच नहीं सकते: एक्जैक्टली सेम वही जूते जो प्राइवेट लोग बना रहे है उन की कीमत क्रम है और जो सरकार बना रही है उस की कीमत क्या है उस को जान कर ही आप अंदाजा लगा लगे कि आज सरकारी कारखाने किस ढंग से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं और हमारी एक माननीया वित्त मंत्री यहां बैठी हुई है। उन को कानपुर की पूरी जानकारी है। वह इस को अच्छी तरह से जानती होंगी। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस को भी एसेंसियल कमोडिटीज में रखा जाय। चाहे कहीं भी जूते बनें, चाहे वह सरकारी कारखाने में बने या किसी के घर में, उन के दाम तय करने की बात या तो सरकार अपने हाथ में ले और नहीं तो उस की कोई अन्य उचित व्यवस्था करे अब लेखन सामग्री को देख लीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): The Business Advisory Committee allowed only 1½ hours for this Bill. We have already taken 3½ hours. How long are we going to discuss this Bill? You must regulate it.

**श्री राजनारायण** : माननीय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिलकुल गिलोटिन कमेटी है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय)** : आप बैठिये।

**श्री राजनारायण** : बिजनस एडवायजरी कमेटी में हमारे मित्र ओम मेहता साहब बैठते है जिन को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विधेयक में क्या है क्या नहीं है।

**श्री ओम मेहता** : उस मे रवी राय भी बैठते हैं।

**श्री राजनारायण** : आप तो जानकार है। आप ओम मेहता की राय से प्रभावित होंगी तो सदन कसे चलेगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय)** : मैं तो आप की राय स प्रभावित हूं।

**श्री राजनारायण** : मेरा कहना है कि पाठ्य पुस्तकें, बिहार और उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी है कि वहां पाठ्य पुस्तकें नहीं है। लड़कों को पढ़ने के लिये किताबें नही मिल रही है। उन को लिखने के लिए कापियां नहीं मिल रही हैं। एक तरफ बड़ी छाती पीटी जाती है कि बच्चों को स्कूल और कालेज जाने से मना कर दिया जाता है, मगर जब बच्चे स्कूल और कालेज जाते है तो उन को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें नही है। उन के लिये कापियां नदारत है। तो मै कहना चाहता हूं कि इन को भी आप आवश्यक वस्तुओं की सूची में ले आयें। यह बहुत जरुरी है और देखा जाय तो हमारे यहां गाजियाबाद, मुजफ्फर-नगर और . . .

**श्री एन० आर० चौधरी** (आसाम) : आप की पार्टी तो कालेज बंद कराने लगी थी। तो किताबें कापियां कहां से आयेंगी?

**श्री राजनारायण** : मैं अपने मित्र चौधरी साहब को जानकारी करा दुं कि अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन में तीन साल पहले जो गुजरात में हुआ था, उस में तीन साल पहले हम ने काल दी थी कि वह साल भर स्कूल और कालेज जाना बंद करें जैसा कि हम लोगों ने 42 में किया था।

माननीया इस संबंध में जो आवश्यक पदार्थ हैं जिन्हें अंग्रेजी में एशिन्शियल कमोडिटीज कहते है अगर उनके बारे में आप के सामने तथ्य न रखू तो माननीय सदस्य कैसे समझेंगे कि इन चीजों को रखना क्यों जरुरी है । इन चीजों को रखना इसलिए जरुरी है क्योंकि यह बहुत जरुरी हैं । ये चीजें जरुरी क्यों हैं इसके लिये हमको बोलना जरुर पड़ेगा । हम कहते हैं कि अगर पाठ्य पुस्तकें नही रखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या । मेरठ, मुजफ्फरनगर शाहपुर के विद्यार्थी मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे यहां पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, दुकानों पर कापियां नही है हम क्या करें और यू० पी० सरकार ने कह दिया है कि पहली अगस्त से कालिज खूलेंगे । मैं मंत्री महोदय से आपके जरिए कहना चाहता हूं कि सरकार स्कूल, कालिजों के बच्चों के साथ पालिटिक्स का खेल खेल रही है । पहले तो उन्होंने यह सोचा होगा कि अगर स्कूल और कालिज खूल गये तो जय प्रकाश का आन्दोलन यू० पी० में भी आ जाएगा । बाद में उन्होंने यह सोचा होगा अब अगर हम स्कूल कालिज खोलेंगे तो न कागज मिलेगा और न कापी मिलेगी और लड़के हड़ताल कर देंगे इसलिए उन्होंने स्कूल कालिज बंद रखे । यह स्थिति आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है ।

मैं ज्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हमें तहे दिल से श्री शेखावत ने जो संशोधन पेश किया है, सहर्ष मुक्त कंठ से मानना चाहिए और सरकार को प्रेरित करें कि सरकार इसको कबूल करे ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I can only say that most of the things they like to include are already included there. For example, you find newsprint, paper and paper board.

SHRI RAJNARAIN: Soap?

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Shri Rajnarain is very found of soap. Soap is also there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

1. "That at page 1, after line 13, the following be inserted, namely:—

'In section 2 of the principal Act, in clause (a), after sub-clause (x), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

'(xi) soap excluding hand-made soap, toothpaste and razor blades;

(xii) fertilisers;

(xiii) pumping sets below 5 H.P. and accessories;

(xiv) footwear excluding hand-made footwear;

(xv) stationery;

(xvi) text-books;

(xvii) cotton yarn;

(xviii) match box',".

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause* 2 *was added to the Bill.*

*Clause* 3 : (*Amendment of Section* 3)

SHRI B. S. SHEKHAWAT: Madam, I move:

2. "That at page 1, after line 13, the following be inserted, namely:—

'In section 3 of the principal Act, in sub-section (2) (a) shall be deleted' ".

3. "That at page 1, after line 13, the following be inserted, namely:—

'In section 3 of the principal Act, in sub-section (2) (a), the words 'by licences, permits or otherwise' shall be delected'."

4. "That at page 1, after line 13,

[Shri B. S. Shekhawat]

the following be inserted, namely :—

'In section 3 of the principal Act,—

(a) after sub-section (2)(f), the following shall be inserted, namely :—

'Provided that a tenant of an uneconomic holding whose main source of income is from agriculture will be exempted from the operation of this clause.'

(b) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely :—

'Provided that in case of a producer, the prices of foodgrains fixed under clauses (a), (b) and (c) will not be less than the prevailing market price.' ".

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि मूल कानून की धारा 2 ए में लिखा है कि

"For regulating by licence, permit or otherwise, the production or manufacture of any essential commoditiy. . ."

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चर्चा इस सदन में हुई है और माननीय मंत्री महोदय ने इस भ्रष्टाचार की चर्चा को एक सामाजिक ब्योरा बता कर अपने दल से इस चीज को हटाने की चेष्टा की है . . .

मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक बुराई को जन्म देने वाली बात यदि इस कानून में कोई है तो यह लाइसेन्स और पर्मिट की प्रणाली है । यदि लाइसेन्स और परमिट, इन 2 बातों से हम गुरेज करें तो निश्चित रूप से इन बुराइयों से बच पाएंगे । इस सदन के सभी माननीय सबस्य जानते है कि इसेन्सियल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने बहुत नोटिफिकेशन्स निकाले हैं । कभी किसी चीज के आयात पर रोक लगाई, कभी किसी चीज के निर्यात पर, कभी किसी चीज के उत्पादन पर, और उन सब का परिणाम यह निकलता है कि बार बार सरकार को पर्मिट्स इश्यू करने पड़ते हैं । डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, तहसीलदार से लेकर हाइएस्ट आथारिटी तक उन पर्मिट्स को इश्यू करने की चर्चा चलती है । सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक राज्य मे—मैं ज्यादा राज्यों के उदाहरण देकर समय नहीं लेना चाहता—लेकिन एक राज्य में जनवरी 1973 से लेकर मार्च 1974 तक 1,815 पर्मिट इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए इश्यू किए गए और 283 पर्मिट अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में निकासी के लिए इश्यू किए गए लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जिन को ये पर्मिट दिए गए हैं उनमें भी उत्पादक नहीं हैं, सारे के सारे व्यापारी हैं और व्यापारी किसी स्थिती में लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे आज की स्थिति है, आज एक राज्य में भाव 120 रु० क्विंटल है, दूसरे राज्य में भाव 180 रु० क्विंटल है, हर राज्य का व्यापारी इस बात का प्रयत्न करेगा कि जहां भाव बढ़े हुए हैं वहां अनाज ले जाने का किसी न किसी प्रकार से पर्मिट मिल जाए । वह पर्मिट मिलते ही ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो कमायी होती है उसको अपने पास में रखते हैं । मैं समझता हूं, इस सारे कानून के अंदर यदि ब्लैक मनी और करप्शन इन दो को जन्म देने की कोई स्थिति है और कोई स्थान है तो यह लाइसेन्स और पर्मिट की प्रणाली है । मैं निवदन करना चाहुंगा सभापति महोदया, आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि यू० पी० की सरकार ने 1000 टन बाजरे का पर्मिट भावनगर के ऐसे एक व्यापारी को गुजरात ले जाने के लिए दिया जो एक बोगस फर्म थी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

**श्री कल्याण चन्द** (उत्तर प्रदेश) : आपने पहले का नाम नहीं लिया जो आप कहना चाहते थे ।

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : हां मैंने नाम लिया । राजस्थान का नाम लिया, गुजरात का नाम लिया, मध्य प्रदेश का नाम लिया ।

**श्री कल्याण चन्द** : नाम नहीं लिया था ।

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : नाम लिया था । और नाम मैं ले दूं, आप चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैंने समयाभाव के कारण उन सब के बारे में नहीं कहा । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आज मूल में अगर कोई बीमारी है, तो यह क्लाज है । अब मेरा दूसरा अमेन्डमेंट है । जैसा हमारे इसी कानून के अंदर सरकार किसानों के ऊपर प्रोड्यूसर लेवी लगाना चाहती है, इसी कानून के अन्तर्गत सरकारी व्यापारी के ऊपर लेवी लगाती है और इसी कानून के अंतर्गत सरकार लेवी का भाव निश्चित करती है । सभापति महोदया, दुनिया जानती है कि आज किस प्रकार से किसान के ऊपर लेवी इन्ट्रोड्यूस की गई है, उस समय जब कि कोई संभावना नहीं थी, जिस समय सरकार ने नयी खाद्य नीति की घोषणा की, नयी खाद्य नीति के साथ सरकार ने घोषणा की थी कि व्यापारी से 105 रु० क्विन्टल लेवी वसूल की जाएगी, और उस समय यह चर्चा थी कि सरकार और व्यापारी दोनों ने मिल कर इस प्रकार का लेवी इम्पोज करने की व्यवस्था की है । लेकिन किसान के ऊपर भी लेवी इम्पोज की । मैं इस सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन किसान के ऊपर जिन स्टेट्स ने लेवी इम्पोज की है और जिन स्टेट्स ने व्यापारी के ऊपर 105 रु० क्विंटल की लेवी इम्पोज की है, दोनों की तुलना की जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार के सामने दृष्टिकोण व्यापारी के हित का था, किसान के हित नहीं है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): No, it is not necessary.

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : यह बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं, समय की व्यवस्था नहीं है ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question of price fixation for levy by different States does not come under this.

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : महोदया, मैं कहूंगा कि यह विषय आता है । यदि आप इसको पढ़ लें तो कम से कम यह बात नहीं कहेंगी ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): You are stretching the point too far. You have to conclude now.

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : मैं आपको बतला रहा हूं । कोई इर्रेलेवेन्ट बात हो तो टोक दीजिए, वरना यह इम्प्रेशन क्रिएट करना कि इसके अंदर नहीं आता है ...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय)** : मेन् स्पीच की तरह आप अमेन्डमेंट के ऊपर हर चीज कह रहे हैं ।

**श्री भरों सिंह शेखावत** : इस कानून के अन्दर सरकार लेवी इम्पोज करने जा रही है और इस कानून के अन्तर्गत सरकार किसानों के अनाजों के भाव तय करने जा रही है । सरकार का अधिकार भाव तय करना और लेवी इम्पोज करना है और इस चीज का सरकार द्वारा बराबर दुरुपयोग किया जा रहा है । तो निश्चित रूप से यह चीज इसके अन्दर आयेगी । मैंने जो संशोधन मूव किया है वह केवल अन-इकौनौमिकल होल्डिंग्स वाले जो काश्तकार है, उनको भी क्वालिफाईड किया है कि जिनका मैन सोर्स आफ इन्कम अग्रि-

[श्री भैरो सिंह शेखावत]

कल्चर है, तो इस प्रकार के काश्तकारों के ऊपर किसी प्रकार की लैवी इम्पोज न की जाय । इस प्रकार की व्यवस्था करने की मैंने मांग की थी ।

श्रीमन्, आप राज्यों में चले जाइये ऐसे किसानों के ऊपर लैवी इम्पोज की गई है जिनकी गिरदावरी के तौर पर फसल नष्ट होना बतलाई गई है, ओले से नष्ट होना बतलाया गया है या फिर किसी बीमारी से नष्ट होना बतलाया गया है । इस पर भी राज्य सरकारों ने किसानों के ऊपर लैवी इम्पोज की है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने संशोधन रखा है वह यह है कि जो अनइकौनौमिक होल्डिंग्ज है, उनके ऊपर लेवी न लगाई जाय ।

तीसरी बात कीमत तय करने के सम्बन्ध में है । आज किसानों को आप 105 रुपया क्विन्टल दे रहे हैं । अब उसको खाद महंगी मिल रही है, बीज महंगा मिल रहा है, पानी महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है और बाजार के अन्दर आज 180 रुपया क्विन्टल गेहूं बिक रहा है । जिस व्यक्ति ने, जिस किसान ने महंगे भाव पर अनाज पैदा किया है, उस किसान से 105 रुपया क्विन्टल गेहूं लेना, लैवी लगाकर लेना यह तो लूटने के बराबर है । इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार की नीति अपनाकर खाद्य की समस्या का समाधान कर सकेंगे ?

यदि किसानों को आपने अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए प्रेरित नही किया, रेम्यूनरेटिव प्राइस नही दिये, तो निश्चित रूप से उत्पादन गिरेगा । आज जरा दिल्ली के चारों तरफ देख लीजिये, जहां पहिले गेहूं के खेतों लहलहाते थे, आज वहां गुलाब लहलहा रहे हैं । इस तरह से कैसे देश में उत्पादन बढ़ेगा ? (*Interruption*) श्री ओम् मेहता, इस बारे में जरूर नाराज होते हैं लेकिन यह एक इम्पोर्टेन्ट मैटर है ।

**श्री ओम् मेहता** : इसके लिए समय निश्चित किया गया है और उसमें आपके पार्टी के भी मेम्बर थे । (*Interruption*)

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : हमारी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं था हम इस बात को अछी तरह से जानते है कि मेरे संशोधन की क्या अहमियत है क्योंकि आज गरीब किसानों और गरीब जनता के सामने समस्या खड़ी है । क्या आप उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और यहां पर उछल उछल कर... (*Interruption*)

**श्री ओम् मेहता** : आपके पार्टी के मेम्बर वहां पर थे (*Interruption*)

**श्री भैरों सिंह शेखावत** : कोई नही था । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत दिलाई जाय । अंत में, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने पेश किया है, उसको मंत्री जी स्वीकार कर लें ।

*The question were proposed.*

**श्री राजनारायण** : श्रीमन, में इस संशोधन के समर्थन के लिए खडा हुआ हूं और जो यह संशोधन है उसका तहदिल से समर्थन करता हूं । एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और उससे मंत्री जी समझ ले कि यह संशोधन कितना अहमियत रखता है । 1967 में जब यू०पी० में चरण सिंह की सरकार थी, संविद की सरकार थी । (*Interruption*) मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल के सदस्यों को बीच में बोलने से रोका जाय । इस तरह से बाधा डालना सदन का समय नष्ट करना है और हम चाहते है कि यह बिल जल्द

से जल्द पास हो जाय । 1967 में हमने 10 एकड़ जमीन के किसानों के उपर लैवी न लगाने का फैसला किया था और 85 रुपये क्विन्टल गेहूं की कीमत तय की थी। हम यह कहते हैं कि उस समय जब कि बाजार में गेहूं की कीमत 72 रुपया क्विन्टल थी, तो हमने गेहूं का भाव 85 रुपया क्विन्टल रखा । 1974 में जब की खाद्य की कीमत बढ गई है, पानी की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, बीज की कीमत बढ़ गई है, जो इंदिरा की सरकार ने 1974 में गेहूं की कीमत 76 रुपया क्विन्टल तय किया है जब कि बाजार भाव 100 और 120 रुपया क्विन्टल है । मैं इस सरकार की मैन्टलिटी को बैंकरप्ट समझता हूं । चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी में क्या फर्क है, मैं यह माननीय सदस्यों को समझा देना चाहता हूं । 1967 और 1974 । 1967 में चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को 85 रुपया क्विन्टल गेहूं का भाव दिया था और इंदिरा गान्धी ने 1974 में यानी सात साल बाद गेहूं का भाव 76 रुपया क्विन्टल रखा जब कि बाजार भाव 100 रुपया और 120 रुपया क्विन्टल था ।

**एक माननीय सदस्य :** 105 ।

**श्री राजनारायण :** 105 किया बाद में जब उत्तर प्रदेश में कुछ लाख टन भी गल्ला नहीं मिला । इसी तरह से गन्ना ले लिया जाय । '67 में गन्ने की कीमत हमने दी किसान को 14 रुपए क्विन्टल पूर्वी इलाके में और 18 रुपए क्विन्टल पश्चिमी इलाके में और चीनी हमने बिकवाई 1 रुपया 40 पैसे किलो और 1 रुपया 60 पैसे किलो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Your time is up.

**श्री राजनारायण :** मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । और '74 में इन्दिरा की सरकार ने, जो प्रगतिशील है, समाजवादी है, तरक्की-पसन्द है उसने किसान को कीमत दिलाई गन्ने की साढ़े 11 रुपए क्विन्टल और चीनी बिकवाई 2 रुपए 15 पैसे किलो और 4 रुपए किलो और 6 रुपए किलो । इन्दिरा की सरकार से बढ़ कर किसान-हित-विरोधी, जनहित विरोधी सरकार न दुनिया में कोई है और न होगी । इसलिए मैं मौजूदा मंत्री जी से, जो इस बिल को लेकर आए हैं—उनकी व्यक्तिगत मैं बहुत इज्जत करता हूं—उससे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि शेखावत जी के इस प्रस्ताव को मान लीजिए ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Madam, I would only like to say that in a scarcity situation, regulation is necessary. So, permit and licence cannot be done away with.

In the matter of fixation of the price for agricultural products, some flexibility has been inserted in the provision. It is there in the Bill. It is said that the price will be fixed having regard to the price of the agricultural product in the previous harvest season. Market forces prevalent have thus been taken into account in fixing the price. That will take care of the contingency referred to by the hon. Members and I would like to say that is enough safeguard. I do not think there is any necessity for accepting this amendment. I am unable to accept this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

2. "That at page 1, after line 13, the following be inserted, namely:—

'In section 3 of the principal Act, sub-section (2) (a) shall be deleted'."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

3. "That at page 1, after line 13, the following be inserted, namely:—

'In section 3 of the principal Act, in sub-section (2)(a), the words 'by licences, permits or other-wise' shall be deleted'."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

4. That at page 1, after line 13, the following be inserted namely:—

'In section 3 of the principal Act,—

(a) after sub-section (2)(f), the following shall be inserted, namely:—

'Provided that a tenant of an economic holding whose main source of income is from agriculture will be exempted from the operation of this clause.'

(b) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

'Provided that in case of a producer, the prices of foodgrains fixed under clauses (a) (b) and (c) will not be less than the prevailing market price.' ".

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

SHRI RAJNARAIN: Division.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): I have already passed the clause. You have missed the chance.

**श्री राजनारायण** : कैसे आपने पास कर दिया है जब हम कह रहे हैं "आईज हैव इट" ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): You are challenging the Chair. I have already passed that clause. Only after that, you have called for division.

**श्री राजनारायण** : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई मामूली एमेंडमेंट नहीं है, आप डिवीजन कराइए । यह एमेंडमेंट देश के गरीब किसानों के जन्म-मरण का सवाल है । यह कोई तरीका है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): You said it after I said: "Clause 3 stand part of the Bill".

**श्री राजनारायण** : हम चाहते हैं कि अलाभकर जोत पर लगान माफ हो ।

*Clause* 3 *was added to the Bill.*

*Clause* 4 *(Amendment of section 6A).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

SHRI RAJNARAIN: Division.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Are you serious?

SHRI RAJNARAIN: Yes, I am serious.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): But there is no amendment to clause 4.

The question is :

"That clause 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

*Clause 5 (Amendment of section 6B)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : There is one amendment.

SHRI B. S. SHEKHAWAT : Madam, I beg to move :

5. "That at page 2, line 22, for the word 'Collector' the words 'Judicial Magistrate' be substituted."

सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि आपको मेरा नाम उच्चारण करने में कुछ कठिनाई हो रही है, मेरा नाम है भैरों सिंह शेखावत ।

इस सरकार ने इस कानून के अन्दर एक इम्प्रूवमेंट किया है और वह इम्प्रूवमेंट इस प्रकार का है कि यदि कोई एसेंशियल कमोडिटी किसी मकान में, किसी वैहिकिल में या अन्य प्रकार के ट्रान्सपोर्ट के अन्दर मिल जाय तो उस चीज को जब्त किया जा सकता है ।

जहा तक इतनी व्यवस्था है मैं समझता हूं कि उस व्यवस्था का समर्थन करने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लेकिन इसके साथ एक व्यवस्था और जोड़ी गयी है ऊपर लिख कर कि इस प्रकार का माल जब्त किया जा सकता है । इसमें लिखा है कि :

"Without prejudice to the provisions of sub-section (1), no order confiscating any animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be made under section 6A if the owner of the animal, vehicle, vessel or other conveyance proves to the satisfaction of the Collector that it was used in carrying the essential commodity without the knowledge or connivance of the owner himself, his agents, if any, and the person in charge of the animal, vehicle, vessel or other conveyance and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use."

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि स्वयं मंत्री महोदय यदि ईमानदारी से इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें तो वह भी इसी नतीजे पर पहुचेंगे कि इस क्लाज का निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा । कलेक्टर्स का आज किस प्रकार का स्टेटस है मैं उसके डिटेल में नही जाना चाहता । कलेक्टर्स पर कितना प्रेशर आता है, मैं उसके उदाहरण नही देना चाहता, लेकिन यह निश्चित बात है कि कलेक्टर्स किसी कारण से भी हो इंडिपेंडेंट नही हैं । बहुत से कलेक्टर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ सी० बी० आई० की इंक्वायरी चल रही है, कुछ के खिलाफ विजिलेंस कमीशन इंक्वायरी कर रहा है । उन कलेक्टर्स को यदि आप यह अधिकार दे दें कि उनको यदि इस बात की तसल्ली करा दी जाय कि जिस माल का परिवहन किया गया है वह मालिक की बिना अनुमति के, मालिक की बिना नालेज के ले जाया गया है, तो मैं तो समझता हूं कि यह इस प्रकार का प्वाइंट है कि जिस का प्रूव करना वैसे तो बहुत मुश्किल है लेकिन इस प्वाइंट के आधार पर यदि कलेक्टर या गवर्नमेंट चाहे तो उसको पकड़े हुए सामान को छोड़ना मुश्किल नही होगा । यदि आप निश्चित रूप से और ईमानदारी से इस कानून को स्ट्रिजेंट बनाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि कलेक्टर्स को डिस्क्रिशनरी पावर्स मत दीजिए, बल्कि किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दीजिए ताकि उसकी प्रोसीडिंग्स को ले कर अपील की जा सके, उसके आर्डर का रिवीजन कराया जा सके और वह प्रेशर से बच सके । यदि आप कलेक्टर्स को पावर देते है तो स्ट्रिजिट कानून की बात कहना उचित नहीं है ।

*The question was proposed.*

**श्री रबी राय :** मैं शेखावत जी के संशोधन का समर्थन करता हूं यह कह कर कि हम लोगों के सामने इस तरह के बहुत से उदाहरण है और यह साफ बात है कि क्योंकि कलेक्टर एक एक्जीक्यूटिव हेड है इसलिए राजधानी में जो लोग रहते है उनके चंगुल में आ कर जो वास्तव में दोषी है उनको भी रीहाई दे सकता है । इस लिए कलेक्टर कचेरी में जो सारी क्षमता केन्द्रीभूत हो गयी है हम उसको खत्म करना चाहते है, हम उसके विरोध में है और यह नयी क्षमता कलेक्टर को नही देना चाहते क्योंकि कलेक्टर इसको लागू नहीं कर सकता क्योंकि वह एक्जीक्यूटिव हेड है । इस लिए उनका जो कथन है कि यह पावर्स जुडिशिअल मैजिस्ट्रट को दी जाय उसका मै समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : The presumption underlying this amendment is untenable, namely, that the Collector has not the functional discretion which he has. If we doubt the autonomy of this officer, we can doubt the autonomy of any other officer. So, I am sorry, I cannot accept this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

5. "That at page 2, line 22, for the word 'Collector' the words 'Judicial Magistrate' be substituted."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAIN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 5 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

*Clause* 6 — (*Amendment of Section* 7)

SHRI B. S. SHEKHAWAT : Madam, I beg to move :

6. "That at page 2, lines 40 to 43 be deleted."

7. "That at page 3,—

(i) lines 1 to 4 be deleted;

(ii) lines 10 to 12 be deleted ;

(iii) lines 19 to 21 be deleted; and

(iv) lines 22 to 27 be deleted."

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हमने इस कानून को बहुत सख्त बनाया है । मैं सदन और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का क्लाज प्राविजों के रूप में दिया गया है उसके होते हुए इस कानून में किसी तरह की सख्ती नहीं आ सकती । पहले भी समरी ट्रायल की व्यवस्था थी । पहले भी 3 महिने की सजा की व्यवस्था थी । लेकिन उसके बावजूद किसी का समरी ट्रायल नहीं हुआ न 3 महीने की किसी को सजा हुई । अब इस कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है कि उनको कम से कम इतनी सजा मिलेगी ।

देखने में देख सकते है कि इतनी सजा निश्चित रूप से मिलेगी लेकिन आपने लिख दिया है ।

"Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months;"

तीनों में इस तरह से व्यवस्था कर दी । आगे फिर प्रोविजो में लिख दिया :

"Provided that the court may, for any special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months."

आगे फिर व्यवस्था कर दी । दूसरे नोटिफिकेशन में है :

"Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.

सरकार ने कानून को सख्त बनाने की संज्ञा से धाराएं रखी हैं पर उनमें इस

प्रकार का प्रोविजों लिख कर उन धाराओं का अमल उसी रूप में न हो सकें इसकी व्यवस्था की है । इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा अगर वे कानून को सख्त बनाना चाहते हैं तो इन प्रोविजों को डिलीट कर दें ।

*The questions were proposed.*

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : I have nothing to add to what I have already said. I cannot accept the amendments.

THE VICE-CHAIRMAIN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is :

6. "That at page 2, lines 40 to 43 be deleted."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAIN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

7. "That at page 3,—

(i) Lines 1 to 4 be deleted;

(ii) lines 10 to 12 be deleted;

(iii) lines 19 to 21 be deleted; and

(iv) lines 22 to 27 be deleted."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 6 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

*Clause 8 — (Insertion of new sections 10B and 10C).*

SHRI B. S. SHEKHAWAT : Sir, I beg to move :

8. "That at page 4, after line 6, the following be inserted, namely :—

'(4) Government will lay on the Table of the House an annual report regarding action taken for the contravention of the provisions of the Act'."

9. "That at page 4, lines 16 to 19 be deleted."

*The questions were proposed.*

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है इस कानून के अन्तर्गत । मैंने यह संशोधन इसलिए मूव किया इस कानून के अन्तर्गत जितने भी वायलेशंस के केस होंगे, उनकी रिपोर्ट सलाना सदन में प्रस्तुत की जाएगी ताकि माननीय सदस्य विचार कर सकें ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : There is no point in submitting any annual reports. I do not think it is necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

8. "That at page 4, after line 6, the following be inserted; namely :—

'(4) Government will lay on the Table of the House an annual report regarding action taken for the contravention of the provisions of the Act'."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

9. "That at page 4, lines 16 to 19 be deleted."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 8 stand part of the Bill."

*The question was proposed.*

*Clause 8 was added to the Bill.*

*Clause 9 was added to the Bill.*

*Clause 10—(Amendment of Section 12)*

SHRI B. S. SHEKHAWAT : Sir, I beg to move :

10. "That at page 4, for lines 29 to 32, the following be substituted, namely :—

'(a) in sub-section (1), for the words 'any essential commodity' the words, brackets, letter and figure' any essential commodity and such other essential commodities [not being an essential commodity referred to in clause (a) of sub-section (2)] shall be substituted';".

11. "That at pages 4 and 5, lines 33 to 41 and lines 1 to 21, respectively, be deleted;"

12. "That at page 5, line 27, the words 'or both' be deleted."

13. "That at page 5, lines 42-43, the words 'if no witnesses have been examined before such commencement or the said date, as the case may be,' be deleted."

*The questions were put and the motions were negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 10 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause* 10 *was added to the Bill.*

*Clause* 11 *was added to the Bill.*

*Clause* 12—(*Amendment of Act* 46 *of* 1952).

SHRI B. S. SHEKHAWAT : I beg to move :

14. "That at page 6, lines 48-49, the words 'if no witnesses have been examined before such commencement or the said date, as the case may be,' be deleted."

उपसभाध्यक्ष महोदया, जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं वह इतना महत्वपूर्ण है कि जिसपर यदि गहराई से विचार किया जाए तो स्वयं ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार व्यापारियों का पक्ष लेना चाहती है या नहीं ?

उपसभाध्यक्ष महोदया, पहले के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि समरी ट्रायल होगा । लेकिन इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई कि समरी ट्रायल तो होगा, लेकिन यदि किसी मामले में एक भी गवाह का बयान रिकार्ड हो गया है तो उसमें समरी ट्रायल नहीं होगा । मैं कोई विधि विशेषज्ञ तो नहीं हूं और इसलिए विधि विधान के आधार पर इस प्रश्न में जाने की जरूरत नहीं समझता हूं । लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेंस इसू करने के पहले यदि आर्डिनेन्स की वायलेशंस के कारण कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका निपटारा नहीं हो रहा है, यदि उस प्रकार के मामले का समरी ट्रायल होता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को इसमें दिक्कत क्या खड़ी रही है ? क्या सरकार के विधि विशेषज्ञों ने कोई इस प्रकार की सम्मति दी है कि कानून में इस प्रकार का संशोधन करने के बाद समरी ट्रायल को नहीं रोका गया तो समरी ट्रायल होगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप सीरियसली ब्लैक मार्केटियर्स को फंसाना चाहते है तो जितने भी केस पेंडिंग हैं उन सबका समरी ट्रायल होना चाहिए और उनको सजा मिले ।

यहां पर बारबार मोदी मिल का जिक्र किया गया है । आप जानते हैं कि मोदी मिल का स्टाक पकड़ा गया और उसमें लगभग चार हजार बेरल पकड़े गये । उनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जबूत किया गया । मैनटेनेन्स सेक्योरिटी आर्डर के अन्दर उनकी डिटेनशन के आर्डर इसू हुए । इस संबंध में लोकसभा और राज्य सभा, दोनों स्थानों पर चर्चा हुई । मैं इस वक्त उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज

एक्ट में केस चल रहा है, उसकी गवाही भी हुई है औस इस हुकूमत के ऊपर मेरा यह चार्ज है कि मोदियों को बचाने के लिए ही इस कानून के अन्दर यह संशोधन किया जा रहा है ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAY: It is absolutely baseless. It has nothing to do with this.

**श्री भैरों सिंह शेखावत :** उपसभाध्यक्ष महोदय बारबार यहां पर कहा जाता है कि वाइल्ड एलेगेशन लगाये जा रहे है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदियों से पैसा लिया है और 20 लाख रूपये लिये है । पंजाब नॅशनल बैंक से 20 लाख रूपए आये... *(Interruption)* गलत नही है, इस बारे में कागज है । एक एडवर्टाइजिग कम्पनी, इनट्रेड एडवर्टाइजिग कंपनी, आसफअली रोड, इसके नाम पर मोदियों से 20 लाख रूपये पंजाब नेशनल बैंक से ट्रांसफर होकर आए और ये 20 लाख रूपये थोड़े-थोड़े करके डिस्ट्रिक्टस और तहसील कांग्रेस कमेटियों के पास यू० पी० के अन्दर ट्रान्सफर हुए और संडीकेट बैंक के इन चेकस् से चार्टर्ड बैंक से 20 लाख रुपये वसूल किए । कोई भी सदस्य इस बात से इंकार नहीं कर सकता है... *(Interruption)* अपनी मर्जी से आप गलत कह दें तो यह दूसरी बात है, लेकिन यह तथ्य सही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह गलत है तो श्री ओम मेहता मेरे खिलाफ प्रिविलेज मूव कर दे । बीच आफ प्रिविलेज के अन्दर यह आरोप गलत है या सही है, सामने आ जाएगा । मैं इस सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि सरकारने मोदियों से चुनावों के लिए 20 लाख रुपये लिये और इसी के एवेज में इस कानून में इस प्रकार का संशोधन किया गया है ताकि जिन मोदियों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कार्यवाही चल रही है वे इस कानून की गिरफ्त से बच जायें और उनको किसी प्रकार की सजा न मिले और उनका किसी प्रकार का समरी ट्रायल न हो और कानून की संशोधित धारा उन के ऊपर किसी प्रकार से लागू न हो ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की सोशियल क्लाइमेट में किसी प्रकार की चेन्ज भाषण देने से नही होगी । सोशियल ईवल, करप्शन इस प्रकार से दूर नही होगा । आप अपोजीशन पार्टीज से इस देश में चेन्ज की क्लाइमेट तैयार करने के लिए कहते है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार का आचरण करें जो दूसरों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके । दुर्भाग्य से आज इस प्रकार का उदाहरण नही है । अन्त में, इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि मेरा यह एक संशोधन है । यदि सरकार किसी को बचाना चाहती है तो इसको स्वीकार न करे ।

**वरना इस संशोधन को स्वीकार किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रख रहा हूं ।**

*The question was proposed.*

**श्री राजनारायण :** माननीया, एक मिनट में मैं बहुत ही अदब के साथ माननीय मंत्री और मेहता भाई से विनम्रता के साथ निवेदन करुंगा कि धीरज के साथ जो सत्य बात है सुन लिया जाए । श्री भैरो सिह शेखावत का कितना जरुरी संशोधन है इसको मैं केवल एक बात कह कर माननीया, स्पष्ट कर दूंगा । ये सारी के सारी बातें मै कह रहा हूं लिखपढ़ कर । हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन, बिड़ला के साथ कोलेबोरेशन में जो है, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से 2 करोड़ 62 लाख रु० रजिस्ट्रार के यहा जमा हुए । सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तुम जितना कहते हो उतना जमा कर दो । वह रुपया जब रजिस्ट्रार के यहां आ गया तो अब हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन के लोग सरकार के पास जाते हैं, सरकार से यह कहते है कि साहब, अखिर यह 2 करोड़ 62 लाख रु० पड़ा रहेगा, न आपको कुछ फायदा होगा न हमको फायदा होगा । कुछ एसी व्यवस्था की जाए कि हम 2 करोड़ रु० निकाल लें और बाकी 60 लाख रु० हमारा जो बिजली कारपोरेशन है उससे समझोता किया जाए । अब मैडम, 60 लाख रू० उत्तर प्रदेश को सरकार ने केन्‍ की सरकार की सलाह

[श्री राजनारायण]

से से लिया और 2 करोड़ बिड़ला ने निकाल लिया...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय)** : यह कैसे रिलेवेंट है ?

**श्री राजनारायण** : यह रिलेवेन्ट इसलिए है, मैं आपको बताता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ 2 करोड़ 62 लाख रु० जमा करो, तो उस रुपए को सरकार ने अपने पास लेने की बात क्यों नहीं की । सरकार के पास जब हिंडालको के लोग गए तो हिंडालको के लोगों से कहा: ठीक है, 60 लाख रु० जमा कर दो । उन्होंने तिवारी जो बोर्ड के आफिसर है उनको बुलाया, तिवारी की आंखों में आंसू आ गए, उससे कहने लगे बहुगुणा, इस पर दस्तखत करो । इस पर उसने दस्तखत किया । श्री गौरी शंकर राय, एम० एल० सी० की चिट्ठी अभी हमारे पास परसो आई है । हम संसद सदस्यों को बता दे कि किस तरह से बिड़ला और बिड़ला के हिंडालको से मिल कर उत्तर प्रदेश के चुनावों के मौके पर 60 लाख रु० लेकर 2 करोड़ रु० उसको दे दिया जिससे वह रोज़गार में लगाए...( *Interruption* )... और बाकी पैसे से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी ।

**श्री यशपाल कपूर** : आप यहां पर आकर ब्लेकमेलिंग करते है । यह बिल्कुल ग़लत है ।

(*Interruption*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : How is it relevant? I do not allow this. Mr. Minister, have you anything to reply?

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA : I do not comment on those wild allegations as you have said, Madam, they are not relevant... (*Interruptions*). Madam said that it is not relevant. So, I will not comment on the wild allegations.

The second point is very brief. Shekhawatji is interested in setting examples. Examples are abundant in this country with great traditions from Budha, Gandhiji, Acharya Bhave. Examples are abundant. What is needed is followers of those examples. And let him find out some followers of examples. And this amendment is not acceptable to me for the simple reason that the summary trial will come into effect when the Bill is passed. But this Law will not be applicable to those cases which have already started before the court and witness has been taken. But in the pending cases before the court where the witness has not been taken, this summary trial provision may be adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Now I will put to vote the amendment moved by Mr. Shekhawat. Amendment No. 14...

SHRI RAJNARAIN : Madam, on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Rajnarain, you have created the Rules. You cannot rise on a point of order when I am taking a vote...

SHRI RAJNARAIN : I know my business, Madam. Don't teach me the lessons.

6 P.M.

श्रीमन्, मेरा यह एक प्वाइंट आफ आर्डर है और वह यह है कि जब तक यहां पर कोई रेजोल्यूशन 6 बजे के बाद बैठने का पास न हो जाय तब तक हम 6 बजे के बाद नहीं बैठ सकते है । आप 6 बजे के बाद वोट भी नहीं ले सकते है ।

SHRI OM MEHTA : The Resolution of the House is there about the timings.

**श्री राजनारायण** : रेजोल्यूशन कहां है । उसको पढ़ा जाय ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : There is no point of order.

SHRI OM MEHTA : The Resolution of the House says 6 or beyond 6. You read the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

14. "That at page 6, lines 48-49, the words 'if no witnesses have been examined before such commencement or the said date, as the case may be,' deleted."

*The House divided.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY :

Ayes—4; Noes—37.

NOES—37

Abid, Shri Qasim Ali
Arif, Shri Mohammed Usman
Buragohain, Shri Nabin Chandra
Chandra Shekhar, Shri
Chattopadhyaya, Prof. D. P.
Chaurasia, Shri S. D. S.
Chettri, Shri K. B.
Choudhury, Shri N. R.
Das, Shri Bipinpal
Dhabe, Shri S. W.
Gadgil, Shri Vithal
Gujral, Shri I. K.
Hashmi, Shri S. A.
Imam, Shrimati Aziza
Jain, Shri Dharamchand
Jha, Shri Kamalnath
Kalp Nath, Shri
Kalyan Chand, Shri
Kapur, Shri Yashpal
Krishan Kant, Shri
Kulkarni, Shri A. G.
Mehta, Shri Om
Mishra, Shri R. K.
Mukherjee, Shri Pranab
Nawal Kishore, Shri
Panda, Shri Brahmananda
Puri, Shri D. D.
Rachaiah, Shri B.
Roshan Lal, Shri
Savita Behen, Shrimati
Shukla, Shri Chakrapani
Shukla, Shri M. P.
Singh, Shrimati Pratibha
Thakur, Shri Gunanand
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad
Tripathi, Shri Kamlapati
Wajd, Shri Sikander Ali

AYES—4

Dhulap, Shri K. N.
Rajnarain, Shri
Ray, Shri Rabi
Shekhawat, Shri B. S.

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 12 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause* 12 *was added to the Bill.*

*Clauses* 13 *and* 14 *were added to the Bill.*

*Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**श्री राजनारायण** : हम वाक-आउट करते है क्योंकि यह गलत विधेयक पास हो रहा है, यह देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके साथ गद्दारी की जा रही है ।

*(At this stage, the hon. Member left the Chamber.)*

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twelve minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 30th July, 1974.

GIPN—S1—21 R.S.S./74—27-11-74—495